पी एण्ड एस बैंक

राजभाषा

अंकुर

मार्च, 2012

पी.एस.बी.

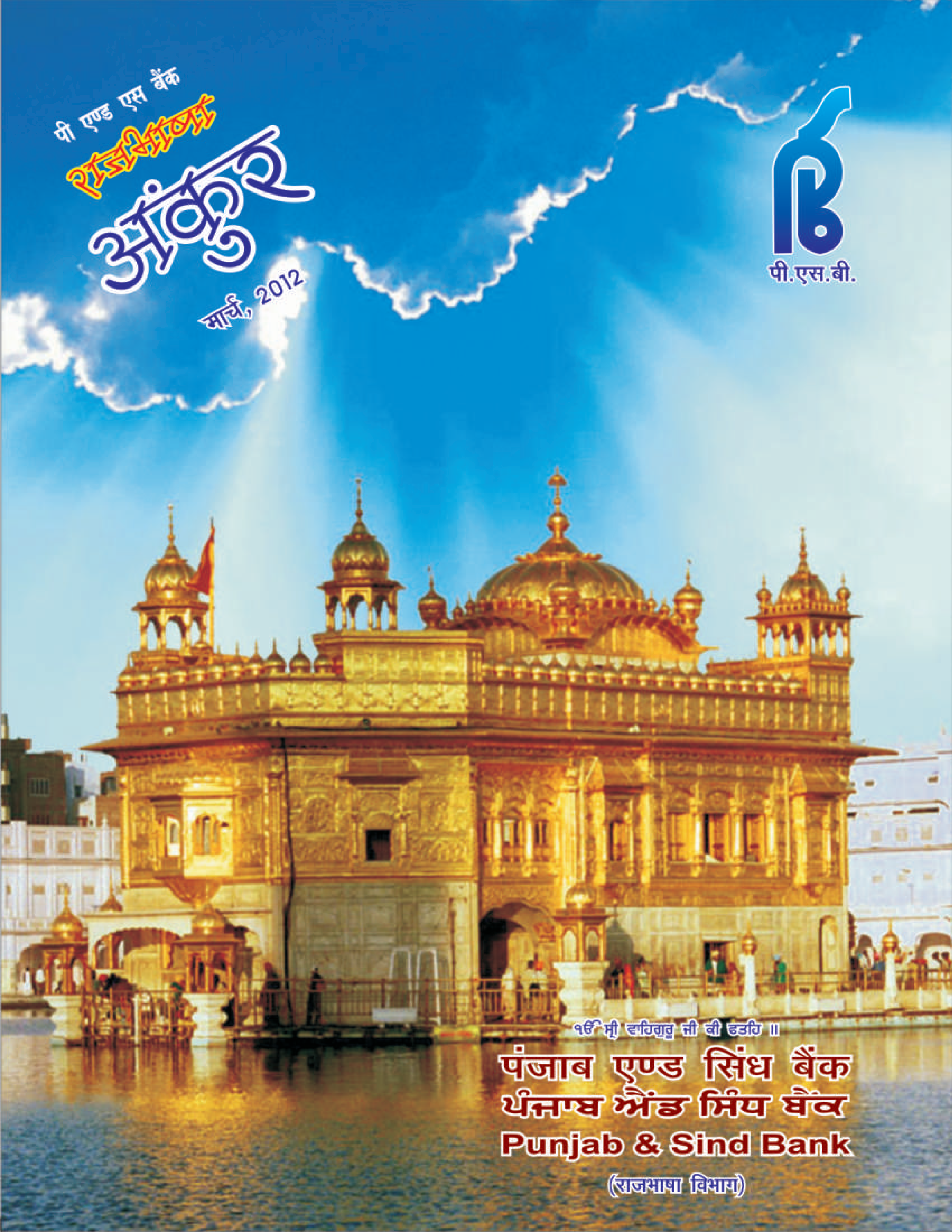

੧ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

Punjab & Sind Bank

(राजभाषा विभाग)

सुस्वागतम

बैंक के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह, आई.ए.एस.।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय,
कार्यकारी निदेशक महोदय से वार्तालाप करते हुए।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय का स्वागत करते हुए,
श्री पी. एस. घावरी, मुख्य महाप्रबंधक।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय का स्वागत करते हुए
श्री विजय श्रीवास्तव, महाप्रबंधक तथा श्री एच. एस. बिंद्रा, महाप्रबंधक।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय का स्वागत करते हुए
श्री मदन गोपाल श्रीवास्तव, मुख्य सतर्कता अधिकारी।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय का स्वागत करते हुए
श्री जी. एस. अरोड़ा, महाप्रबंधक।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय का स्वागत करते हुए
श्री जी. एस. सचदेवा, महाप्रबंधक।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका पी एण्ड एस बैंक

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

'बैंक हाउस', प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008

मार्च, 2012

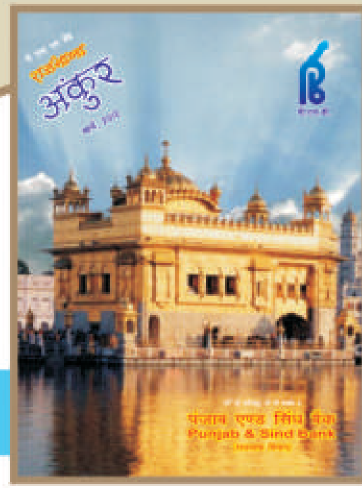

मुख्य संरक्षक

श्री डी. पी. सिंह, *आई.ए.एस.*

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

श्री पी. के. आनन्द

कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री पी. एस. घावरी

मुख्य महा प्रबंधक

संपादक

श्री दीन दयाल शर्मा

उप महा प्रबंधक

प्रकाशक

डॉ. चरनजीत सिंह

वरिष्ठ प्रबंधक एवं प्रभारी,
राजभाषा विभाग

संपादक मंडल

श्री कमल रूप सिंह

वरिष्ठ प्रबंधक

श्री कुलदीप सिंह खुराना

प्रबंधक

श्री हिमांशु राय

राजभाषा अधिकारी

पंजीकरण सं. : फा 2(25) प्रैस. 91

राजभाषा अंकुर में प्रकाशित सामग्री में दिये गए विचार संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : मोहन प्रिंटिंग प्रेस
5/35ए, कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली-110015 फ़ोन : 98100 87743

विषय–सूची

आप की कलम से	2
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय का संदेश	3
कार्यकारी निदेशक महोदय का संदेश	4
सम्पादकीय	5
वित्तीय समावेशन/ज़िंदगी	6
मेरे तो गिरिधर गोपाल	9
हिंदी को महिलाओं की देन	10
बाल-मज़दूरी देश के लिए एक अभिशाप	12
संत तुकाराम/चाहत	14
नई शाखाएँ	16
नए ए.टी.एम.	18
शाखा-स्थानांतरण	19
दिल्ली बैंक नराकास	20
विभिन्न बैंक नराकासों में बैंक की गतिविधियाँ	21
हिंदी/पंजाबी कार्यशालाएं	22
बैंक द्वारा आयोजित विभिन्न कैम्प	24
किसान क्रेडिट कार्ड कैम्प	25
अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन	26
विविध	27
गतिविधियाँ	28
राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3).......	29
काव्य-मंजूषा	30
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं	32
बच्चों की कलम से	34
वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं	36
सूचना का अधिकार	39
सेवा-निवृत्तियां	41
अंग्रेज़ी शब्दों के हिंदी में द्वि-अर्थक पर्याय	43
हमारे चित्रकार	44

आपकी कलम से

पत्रिका में प्रकाशित संदेश बहुत ही प्रेरक है। पत्रिका में प्रकाशित लेख ''बैंकिंग उद्योग में हिंदी की सार्थकता'', ''सतर्कता, भ्रष्टाचार और हम'' उपयोगी हैं। इसके अतिरिक्त लेख, कविता, गतिविधियां एवं अन्य योजनाबद्ध जानकारी उपयोगी एवं स्तरीय है। पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई।

- कृष्ण मोहन मिश्र
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली

''राजभाषा अंकुर'' पत्रिका के सितंबर, 2011 अंक का अवलोकन किया। पत्रिका ने मन मोह लिया। राष्ट्रभाषा हिंदी, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से सुसज्जित पवित्र संबंधों की एक पुंज पत्रिका है। आप सुनहरे कल की ओर अग्रसर हों।

- जसवंत सिंह माथुरी
2136, करम अली
जाटव गेट, मेरठ शहर-250002

पत्रिका का संपादकीय विचारोन्मुख है। ''बढ़ते ब्याज का प्रभाव'' एक विचारणीय लेख है तो ''बैंकिंग उद्योग में हिंदी की सार्थकता'' हिंदी की प्रगति के प्रति आशा की लौ जलाती है। ''कायर नहीं था मैं'' एक सामाजिक और मार्मिक लेख है। ''सतर्कता, भ्रष्टाचार और हम'' एक अच्छा लेख है। '' 'र' से राजनीति'' हमारी मौजूदा राजनैतिक व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करता लेख है। हिंदी-दिवस से संबंधित छाया-चित्र हिंदी के प्रति आपके सार्थक प्रयास को प्रदर्शित कर रहे हैं। सिनेमा और स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी उच्च-कोटि के हैं।

- डॉ. अमर सिंह सचान
राष्ट्रीय आवास बैंक,
नई दिल्ली-110003

आपके बैंक की पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके लेखों एवं बैंक की संपूर्ण गतिविधियों के सुंदर प्रदर्शन हेतु संपादक मंडल को साधुवाद। पत्रिका के लेखों में विषयों की विविधता समस्त पाठक वर्ग हेतु सामग्री उपलब्ध कराती है। साहित्य, भक्ति, स्वास्थ्य, आर्थिक व बैंकिंग विषयों पर लेख उत्कृष्ट श्रेणी के हैं। आगामी अंक की प्रतीक्षा में-

- कृष्णा
शोधार्थी
केन्द्रीय विश्वविद्यालय गुजरात
गांधीनगर, गुजरात

पाठकों से निवेदन

बैंक के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर पत्रिका का विगत दो दशकों से सफल प्रकाशन किया जा रहा है। इस प्रकाशन में राजभाषा हिंदी के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, बैंकिंग, कंप्यूटर एवं मानव-संसाधन से जुड़े लेखों के प्रकाशन के साथ-साथ हास्य-व्यंग्य, कविता, ग़ज़ल का प्रकाशन किया जाता है। स्टाफ-सदस्यों के बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनकी शैक्षिक उपलब्धियाँ, बाल-कविताएँ, स्कैच, पेंटिंग को भी यथोचित स्थान प्रदान किया जाता है। इसे बहुआयामी, प्रेरक और प्रोत्साहन माध्यम बनाने के लिए सभी का सहयोग एवं मार्गदर्शन अपेक्षित है। राजभाषा विभाग में आपके मूल लेख, कविता, सुझाव एवं प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं।

मुख्य संपादक
पी.एस.बी. राजभाषा अंकुर
पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र.का. राजभाषा विभाग
21. राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

किसी भी संस्था द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका उस संस्था का दर्पण होती है, जिसमें उस संस्था की सोच, कार्य-शैली व कार्य-क्षमता निहित रहती है। ऐसी पत्रिका पूरी संस्था के सभी सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधती है। बैंक पत्रिका में प्रकाशित संस्था की गतिविधियाँ, कार्य-कलाप व लेखों में स्टाफ़-सदस्यों की लेखन-क्षमता व प्रतिभा भी दृष्टिगोचर होती है। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री से स्टाफ़-सदस्य तो लाभान्वित होते ही हैं, साथ ही दूसरे बैंकों के कार्यपालकों, विशिष्ट व गणमान्य व्यक्तियों, लेखकों, विद्वानों व विचारकों की प्रतिक्रिया से संस्थागत कार्यों को बेहतर बनाया जा सकता है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक एक सुदृढ़ बैंक के साथ-साथ एक ऐतिहासिक संस्था भी है। मेरे लिए यह असीम हर्ष का विषय है कि मुझे भारत सरकार ने इस गौरवशाली संस्था का नेतृत्व सौंपा है।

'राजभाषा अंकुर' इस संस्था का एक सुंदर प्रकाशन है। मुझे बताया गया है कि राजभाषा विभाग द्वारा 'राजभाषा अंकुर' का पिछले 25 वर्षों से निरंतर प्रकाशन किया जा रहा है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में व्यवसायिक गतिशीलता निरंतर ऊँचाई की ओर बढ़ रही है। इस माहौल में बैंकिंग को आम लोगों से जोड़ने के लिए राजभाषा के प्रयोग को हमें पूरी तन्मयता व निष्ठा से क्रियान्वित करना होगा।

हमारे संविधान निर्माताओं ने इस भाषा की संपन्नता को देखते हुए हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया था। फलस्वरूप, राजभाषा हिंदी 'अनेकता में एकता' का सफ़ल प्रदर्शन कर जन-जन के मन में अपनी पहचान बना चुकी है।

मुझे प्रसन्नता है कि 'राजभाषा अंकुर' पत्रिका ने बैंकिंग क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इस पत्रिका को भारतीय रिज़र्व बैंक, दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी व अन्य महत्वपूर्ण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा अनेकों पुरस्कारों से भी अलंकृत किया गया है।

मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि 'राजभाषा अंकुर' आने वाले समय में अपने कलेवर, साज-सज्जा, स्तरीय लेखों से और उच्च स्थान प्राप्त करेगी।

पत्रिका व स्टाफ़-सदस्यों की निरंतर प्रगति के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।

आपका,

डी पी सिंह

(डी. पी. सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कार्यकारी निदेशक का संदेश

आज के प्रबल प्रतिस्पर्धात्मक युग में जहाँ बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी का विकास त्वरित गति से हो रहा है, वहीं सभी बैंक व वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहकों को आकृष्ट करने व उन्हें निरंतर अपने साथ जोड़े रखने के लिए संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। आज सभी बैंक, वित्तीय संस्थाएं व उपक्रम अपने स्तर पर राजभाषा हिंदी में पत्रिका का प्रकाशन कर अपनी सोच व कार्य-शैली को प्रदर्शित करने में लगे हैं। 'राजभाषा अंकुर' हमारे बैंक का, हमारे ग्राहकों एवं स्टाफ़-सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण संपर्क-सूत्र है।

'राजभाषा अंकुर' में बैंकिंग से जुड़े नवोन्मेषी आलेखों के साथ-साथ कहानी, कविता, ग़ज़ल, हास्य-व्यंग्य एवं बैंकिंग गतिविधियों को प्रकाशित किया जाता है जो इसे समृद्ध बनाते हैं। राजभाषा विभाग को मैं इस सतत् एवं सफ़ल प्रयास के लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वे इस पत्रिका को और अधिक आकर्षक, पठनीय एवं समृद्ध बनाने का प्रयास जारी रखेंगे।

इन सभी बातों के मद्देनज़र हमने निर्णय लिया है कि इस पत्रिका का मुद्रण मार्च 2012 से छमाही के स्थान पर तिमाही आधार पर किया जाए ताकि हमारे सुधि पाठकों को एक सुपठनीय तथा जानकारी-परक पत्रिका वर्ष में चार बार पढ़ने को मिले। मुझे आशा है कि इस पत्रिका को और अधिक प्रचलित करने में पी.एस.बी. परिवार के सदस्य सदैव सहयोग देते रहेंगे।

आपका,

(पी. के. आनन्द)
कार्यकारी निदेशक

सम्पादकीय

पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा प्रकाशित गृह-पत्रिका का हर अंक किसी न किसी मामले में विशेष होता है। पत्रिका का यह अंक इस मायने में मेरे लिए विशेष है कि मैं मार्च 2012 में इस संस्था में लगभग 40 वर्षों के अपने लंबे परंतु अविस्मरणीय कार्य-काल के बाद सेवा-निवृत्त हो रहा हूँ। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस पत्रिका के साथ किसी न किसी रूप में संबद्ध रहा। इस गृह-पत्रिका में जहाँ पाठकों के लिए विभिन्न प्रकार के कारपोरेट समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, वहीं कर्मचारियों की व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ-साथ उनके द्वारा विभिन्न विषयों पर लिखे गए लेख एवं रोचक सामग्री का भी समावेश होता है। गृह-पत्रिका के माध्यम से हमारा यह हमेशा प्रयास रहता है कि हम अपने पाठकों को बैंकिंग उद्योग में घटित होने वाली घटनाओं के संबंध में नवीनतम जानकारी से अद्यतन करवा सकें।

मैंने अपने लंबे कार्य-काल के दौरान कई बार विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना किया है। परंतु इसके साथ-साथ अपने कैरियर में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी प्राप्त हुए। बैंक के सामने कई बार मुश्किलें आई परंतु हर बार हम सबने मिल-जुल कर समग्र रूप से और नई ऊर्जा के साथ इन सब का बखूबी मुकाबला किया और इन पर विजय पाई। समूचे बैंकिंग उद्योग के साथ-साथ हमारे बैंक के लिए पिछले 10 वर्ष काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे। इस अवधि के दौरान बैंकिंग परिदृश्य में सूचना-प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी उन्नयन के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। तकनीकी विकास ने बैंकिंग कारोबार का पूरा तरीका ही बदल दिया। आज जब मैं यह संपादकीय लिख रहा हूँ तो मुझे पंजाब एण्ड सिंध बैंक में बिताए गए लगभग 40 वर्षों की बातें याद आ जाती हैं। 1973 से लेकर आज तक बैंक में अपने लगभग 40 वर्षों के कार्य-काल में मुझे कुछ ऐसी महानतम विभूतियों के साथ उनके मार्गदर्शन में काम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिनके कुशल नेतृत्व में बैंक ने काफी द्रुत गति के साथ विकास किया। पंजाब एण्ड सिंध बैंक में कार्य-निष्पादन की एक विशिष्ट शैली है, जिसे आज तक हमने अक्षुण्ण रखा है और हम सब बड़े ही गर्व के साथ इसका इस प्रकार से उल्लेख करते हैं। *पंजाब एण्ड सिंध बैंक - जहाँ सेवा ही जीवन का ध्येय है।*

आज जब मैं मानसिक रूप से सेवा-निवृत्ति के लिए स्वयं को तैयार कर रहा हूँ, तब ऐसे समय में मेरे मन में मिले-जुले भाव हैं। यद्यपि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के साथ मेरा व्यवसायिक रिश्ता मेरी सेवा-निवृत्ति के साथ समाप्त हो जायेगा, परंतु इसके साथ मैंने जो दिल का रिश्ता बनाया है, वह सदैव अमिट रहेगा। बैंक से अलविदा लेते हुए मैं अपने समस्त सहयोगियों और पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। मेरी परम-पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाले समय में पंजाब एण्ड सिंध बैंक कामयाबी के शिखर को चूमे और सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करे।

आपका,

परमजीत घावरी

(परमजीत सिंह घावरी)

मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक

वित्तीय-समावेशन और भारतीय भाषाएँ

- संजय पासी

हमारा देश कृषि-प्रधान देश है, जिसमें भिन्न-भिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं और जो अलग-अलग भाषाओं की भिन्न-भिन्न बोलियां बोलते हैं। देश की 70 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है और गाँवों में निवास करती है। यहाँ की विकास दर, मुख्यतः घरेलू मांग पर आधारित है और हम निर्यात पर निर्भर नहीं है। कृषि क्षेत्र की विकास-दर संतोषजनक है और सरकार समय-समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करती रहती है, जिससे हमारे किसान भाईयों को आर्थिक सहारा मिलता रहता है। इसके साथ-साथ हमारा सेवा-क्षेत्र भी विकास की ओर अग्रसर है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा उठाए कदमों के कारण, हमारे देश पर संपूर्ण विश्व में व्याप्त सब-प्राइम संकट का प्रत्यक्ष प्रभाव बहुत ही सीमित रहा है। यह भी सत्य है कि हमारे देश के नागरिक, भविष्य की बचत को प्रमुख स्थान देते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश की समृद्धि और नागरिकों की खुशहाली के लिए वित्तीय-समावेशन योजना आरंभ की है, जिसमें भारतीय भाषाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में, वित्तीय समावेशन की कल्पना करना, सर्वथा असंभव और अनुचित भी होगा।

प्राचीन काल से हमारे देश के ग्रामीण इलाके बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे हैं और किसी समय जमींदारों या राजे-महाराजे की चाकरी करते रहे हैं। ग्रामीणों को अपनी उपज पर विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे। अशिक्षा और ग़रीबी के कारण, साहूकारों का दंश झेलना पड़ता था। यह सच है कि अंग्रेज़ी शासन के दौरान थोड़ी बहुत चेतना का प्रसार हुआ, लेकिन अत्याचारों में कोई कमी नहीं थी। फिर, देश में समग्र क्रांति आई और विदेशी दासता से मुक्ति मिली लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ग्रामीण अंचल अधिक प्रगति न कर सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, देश में बनी सरकार ने देशवासियों के हितों में कई निर्णय लिए जिनमें 'ग़रीबी हटाओ' एक प्रमुख निर्णय था 'ग़रीबी हटाओ' का नारा तो दे दिया गया लेकिन उसके मूल कारण—अशिक्षा पर ज़्यादा कार्य नहीं किया गया। अशिक्षा के कारण, देश में ग़रीबी के साथ-साथ आबादी भी बढ़ती गई और देश जितनी प्रगति करता, बढ़ती आबादी उसे लील जाती। यदि स्वतंत्रता के तुरंत बाद शिक्षा पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता तो आबादी भी नियंत्रण में होती और ग़रीबी भी। अब सरकार जागी है और शहरी, अर्ध-शहरी ग़रीबों को ग़रीबी-रेखा से ऊपर लाने हेतु वित्तीय-समावेशन का निर्णय लिया गया है जो कि यदि सही रूप में लागू किया गया तो देश में एक ऐसी क्रांति आएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। परंतु यह अच्छी तरह ध्यान में रखना होगा कि क्षेत्र की क्या भाषा है?यदि भाषा का साथ रहा तो सब कुछ संभव है। यह हम जानते ही हैं कि विगत कुछ वर्षों में जन-संचार में क्रांति के कारण, हमारे देश के ग्रामीण अंचलों में बहुत जागरूकता आई है और साक्षरता में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

आपको एक बहुत ही अजीबो-गरीब उदाहरण देता हूँ। मेरे पड़ोस के घर में आस्ट्रेलियन तोतों का एक जोड़ा है और उनको क़ैद में देख, वह बहुत दुःखी होता है कि बेचारे पंछी है, उड़ने के लिए भगवान ने बनाया है लेकिन क़ैद हैं। वह मुझे बता रहा था कि वह चाहता है कि पिंजरे को खोल दे और वो चले जाएं लेकिन घूम-फिरकर फिर लौट आएं, लेकिन यह बात उनको समझाई नहीं जा सकती क्योंकि वह उनकी भाषा से अपरिचित है। यही बात वित्तीय-समावेशन के संबंध में लागू होती है कि यदि स्थानीय भाषा को प्रमुखता नहीं दी जाएगी

तो वित्तीय-समावेशन हेतु हम उन आम लोगों को किस प्रकार समझा पाएंगे। जब आम जनता को प्रशासन या सरकार की भाषा ही नहीं समझ आएगी तो सरकार की अच्छी योजनाओं का फल उसे नहीं मिल पाएगा। सभी यह मानते हैं कि जन-भाषाओं का जितना विकास होना था उतना नहीं हुआ, माना कि सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत सही रूपांतरण जन-भाषाओं में नहीं किया जा सकता फिर भी जन-भाषा से सीधा संबंध न रखने वाले सुशिक्षित लोग भी अब यह मानने लगे हैं कि जनता के लिए बनाई गई योजनाओं का उनकी अपनी बोल-चाल की भाषा में रूपांतरण करना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे सरकार और आम जनता के बीच की दूरियां काफ़ी हद तक कम की जा सकती हैं। समय गवाह है कि जब तक सरकार की भाषा और आम-जन की भाषा एक रही, देश में रामराज रहा। क्रमशः आमजन की भाषा में परिवर्तन होते गए पर सरकार ने उसकी चिंता ही नहीं करी। जनता आधुनिक भाषाओं को गले लगाती गई और सरकार अंग्रेज़ी से चिपकी रही। आज हमारा देश अंग्रेजी पर इतना अधिक निर्भर हो गया है कि हिंदी इसका विकल्प ही प्रस्तुत नहीं कर पा रही है। हम सभी हिंदुस्तानी सोचते तो हिंदी में है लेकिन कार्यालय में अंग्रेज़ी में कार्य करने को मजबूर हैं क्योंकि 100 में 99 प्रतिशत लोगों को अंग्रेज़ी में कार्य करने की आदत हो चुकी है और जो आज़ादी के बाद से ही हमारे नित-प्रतिदिन के कार्य का आधार रही है। यदि आज़ादी मिलने के तुरंत बाद ही हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया होता तो शायद हिंदी कार्यान्व्यन के लिए हमें राजभाषा अधिकारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता ही नहीं होती। सरकार को हिंदी लागू करने के अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते और सभी हिंदी में कार्य करते। लेकिन जिस आमजन की भाषा को सरकार का आरंभ से सहयोग नहीं मिला, उसको भी विदेशियों का कंधा मिला जो जानते हैं कि यदि भारत में सफ़ल होना है तो हिंदी का सहारा लेना होगा जोकि आम-जन की भाषा है। आप डिस्कवरी, एनीमल प्लानेट या नेशनल ज्यौग्राफिक पर नज़र डालिए जहाँ रिमोट के एक बटन से भाषा अंग्रेज़ी से हिंदी हो जाती है।

आइए, जानें कि आख़िर वित्तीय-समावेशन कैसे कार्य करता है। एक मंहगी ग्रामीण शाखा की स्थापना करने के बजाए, कोई भी बैंक किसी ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ़ एक बैंकिंग प्रतिनिधि को नियुक्त कर यह कार्य कर सकता है। यह बैंकिंग प्रतिनिधि, कोई भी व्यक्ति जो उस क्षेत्र से वाकिफ़ हो, हो सकता है। इस स्थानीय प्रतिनिधि की नियुक्ति से बैंक को कई लाभ होंगे जैसे स्थानीय भाषा, स्थानीय भौगोलिक स्थिति एवं स्थानीय व्यक्ति की साख का पूर्ण ज्ञान होना। उदाहरण के लिए पी.सी.ओ. मालिक या अन्य कोई व्यापारी को ही ले लीजिए जिसे बैंक ने एक बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। यह बैंकिंग प्रतिनिधि 20000 रुपए की लागत वाले ''नियर फ़ील्ड कम्युनिकेशन'' फ़ोन, एक स्कैनर और एक थर्मल प्रिंटर की सहायता से ग्राहकों को बैंक संबंधी सूचनाओं का विवरण उपलब्ध कराता है। उस फ़ोन में वायरलेस कनेक्शन होता है जो वास्तव में बैंक के सर्वर से जुड़ा होता है। इसके माध्यम से ही ग्राहकों से संबंधित सभी विवरणों को भेजा जाता है। अर्थात्, किसी ग्रामीण शाखा की स्थापना में व्यय करने से बेहतर 20000 रुपए के व्यय से ही बैंक को सेवा प्रदान करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है।

इस योजना के अंतर्गत, उन ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहाँ किसी भी बैंक की उपस्थिति नहीं है और जिनकी आबादी 2000 से अधिक है। भारतीय रिज़र्व बैंक, 2011 तक देश के गाँवों में वित्तीय समावेशन को पूर्ण करना चाहता था, जिसमें काफी कुछ सफ़लता भी प्राप्त हुई। इसके तहत योजना यह है कि देश के हर जिले के सभी गाँवों में निवास करने वाले व्यक्तियों के खाते खुलवाए जाएंगे। वित्तीय-समावेशन के तहत प्रत्येक ज़िले के अग्रणी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, निजी एवं विदेशी बैंकों को समावेशन को पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए जा चुके हैं। वित्तीय-समावेशन के जरिए न केवल कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता आएगी अपितु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी अधिक से अधिक लाभ, उसके हक़दारों को मिल सकेगा।

इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाले जीरो-मास फाउंडेशन की बातों पर यदि विश्वास करें तो यहाँ प्रतिदिन लगभग 25000 नए ग्राहक वित्तीय समावेशन के अंतर्गत कवर हो रहे हैं। अधिकांश बैंक प्रबंधकों का मत है कि अब वो इस स्थिति में आ चुके हैं कि ग्रामीण बैंकिंग में अपनी पैठ बना सकें। ग्रामीण शाखाओं से लाखों 'स्मार्ट कार्ड' जारी किए जा चुके हैं। यह सब दर्शाता है कि वित्तीय-समावेशन में कार्य हो रहा है। देश की दूरसंचार कंपनियां भी कम लागत वाले मनी ट्रांसफर उपकरणों पर कार्य कर रही हैं। यद्यपि, ग्राहकों को इन सुविधाओं का लाभ लेने हेतु उनके तंत्र का उपयोग करना पड़ेगा।

प्रश्न उठता है कि क्या वित्तीय-समावेशन वास्तव में हो रहा है। वित्तीय-समावेशन स्वयं में एक लक्ष्य है और वित्तीय-समावेशन का एक सशक्त उदाहरण राजस्थान सरकार की भामाशाह वित्तीय

सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत क़रीब 50 लाख से भी अधिक ग़रीब परिवारों हेतु बैंक खाते खोले गए। लेकिन यह सभी को साथ ले कर चलने से ही सफ़ल होगा और इसके लिए स्थानीय भाषा की अपनी अलग ही भूमिका है। यदि सामने वाला आपकी बात को ही समझ नहीं सकेगा तो उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी। उसको किस प्रकार पता चलेगा कि यह योजना उसके हितों को साधेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह करना होगा कि वे वित्तीय-समावेशन द्वारा न केवल समाज के प्रति अपने दायित्व को पूरा करें अपितु इस को एक लाभप्रद अवसर मानकर अपने व्यवसाय का विस्तार करें। वित्तीय-समायोजन की इस योजना के लक्ष्य को फलीभूत करने हेतु यह आवश्यक है कि बैंक अपनी प्रक्रियाओं में लचीलापन अपनाते हुए बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ग़रीब ग्रामीण जनता तक अपने उत्पादों एवं सेवाओं के स्थानीय भाषाओं में प्रस्तुतिकरण को प्राथमिकता प्रदान करें। वित्तीय-समावेशन के लिए लचीलापन अपनाते हुए यह ध्यान में रखना होगा कि किसी नियम या क़ानून की अवहेलना न की जाए। यह भी अत्यंत आवश्यक है कि बैंकिंग भाषा नियम एवं कानून आम-जन की भाषा में उपलब्ध हो जिससे आम जन बैंकिंग परिचालन को भली प्रकार समझ सकें और उनका लाभ ले सकें। बैंकों को चाहिए कि वे यथासंभव अपने कार्य का परिचालन स्थानीय भाषाओं या राजभाषा हिंदी में करें ताकि ग्राहकों से सीधे तौर पर जुड़ा जा सके। बैंकों को अपने परिचालन में त्वरित एवं सुगम, सुलभ सेवाएं प्रदान करने वाली कार्य-प्रणाली को अपनाना होगा ताकि बैंक और ग्राहक अधिक समीप आ सकें। वित्तीय-समावेशन ग़रीब ग्रामीण जनता के साथ-साथ बैंकों को भी एक ऐसा आधार उपलब्ध कराएगा जो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले विदेशी बैंकों को संपूर्ण चुनौती दे सकेगा। अंत में, मुझे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, भारत के प्रधानमंत्री के वह शब्द याद आते हैं जिनमें उन्होंने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि केंद्र से चला एक रुपया ग़रीबों के पास पहुँचते-पहुँचते 10 पैसे में बदल जाता है यानि कि आम-जन तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुँच पाती। लेकिन वित्तीय-समावेशन में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। जहाँ आम-जन का अपना ही पैसा उनके अपने काम आता है और जो साथ-साथ लाता है खुशहाली और समृद्धि। खुशहाली और समृद्धि आम-जन की तथा साथ-साथ बैंकों की भी।

-आंचलिक कार्यालय, होशियारपुर

ज़िंदगी

- अनुपम सिन्हा

मैंने देखे हैं -
सपने बुनते हुए लोग
और टूटते हुए ख़्वाब
जगमगाती हुई एक रात
और सिसकते जज़्बात
मचलते हुए अरमान
और टूटता आसमान

महसूस की है -
मुस्कुराहट में छिपी उदासी
और अंदर की बदहवासी
महफ़िल में बसी ख़ामोशी
और हर इक कोना वीरान
हालात से चूर-चूर
और जीने को मजबूर

और जाना इस राज़ को -
कि मुरझाए से कुछ चेहरे
हर पल बदलते रिश्ते
टूटते हुए घरौंदे
उदासी की छायी बदली
भीगे हुए पल ही तो
प्रतिबिंब है उस रौ की
जिसे ज़िंदगी कहते हैं।

- प्र.का. प्राथमिकता क्षेत्र विभाग
नई दिल्ली

मेरे तो गिरिधर गोपाल

- डॉ. नीरू पाठक

आज से प्रायः 450 वर्ष पूर्व भारत में मुस्लिम शासन के कारण हिंदू मुसलमान परस्पर संपर्क में आने लगे। हिंदू वेदांत पर मुसलमानों और मुसलमानी अद्वैतवाद पर हिंदुओं का प्रभाव पड़ा और धीरे-धीरे सूफ़ी मत तथा संत संप्रदाय का विस्तार होने लगा। *'जात-पात पूछे ना कोय, हरि को भजे सो हरि का होय।'* इसी सिद्धांत पर चलते हुए उस समय में बहुत से भक्त कवि हुए। राजस्थान की मरू भूमि जहाँ वीरांगनाओं ने शौर्य के प्रतीक के रूप में जन्म लिया वहीं भक्ति की मंदाकिनी स्वरूपा मीराबाई की जन्मस्थली बनी। 'मीराबाई' का नाम लेते ही हृदय में एक सुंदर छवि अंकित हो जाती है। भगवत् प्रेम में रंगी हुई एक राजमहिला जिसने अपने श्याम-सुंदर के लिए सामाजिक बंधन व लोक कुल नीति को नगण्य समझकर पैरों में घुंघरू बाँध, हाथों में इकतारा ले नृत्य और गान कर अपने गिरिधर-गोपाल को रिझाया था। संसार की उग्र ज्वालाओं में, अपने को चंदन के समान शीतल बना, कृष्ण-प्रेम की सुगंध के द्वारा संसार को प्रेम, कल्याण और शांति का पाठ पढ़ाया।

मीरा का जन्म मेड़ता के वीर शासक राव दूदा जी के सबसे छोटे पुत्र रत्नसिंह के यहाँ हुआ। रत्न सिंह जी बड़े पराक्रमी, सात्विक प्रवृत्ति के और भक्त थे। मीरा की माँ राजपूतों की कन्या वीर कुंवरी थी, जो बड़ी सुशीला साध्वी तथा भक्ति भाव से परिपूर्ण थीं। माता-पिता के पुण्य कर्मों की फलस्वरूप मीरा बाई में माता तथा पिता दोनों के ही सद्‌गुण थे तथा दादा दूदा जी के लालन-पालन से भक्ति उन्हें स्वतः ही प्राप्त होने लगी। डाकोर जी की यात्रा के दौरान ही उन्हें संत द्वारा प्राप्त गिरिधर गोपाल की मूर्ति प्राप्त हुई और उसके बाद तो उनकी दिनचर्या ही बदल गई और उनके सभी कार्य अपने गिरिधर गोपाल के लिए होते थे तथा खेल-खेल में माता का बालिका को बहलाने के लिए कह देने पर की तुम्हारा दूल्हा तो गिरिधर गोपाल है, मीरा ने अपना सर्वस्व ही उन पर न्यौछावर कर दिया। भक्ति और प्रेम बालपन से ही शनैः-शनैः विकसित होते हुए पराकाष्ठा तक पहुँच गया। उनका लौकिक विवाह महाराणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र कुमार भोजराज से हुआ। किंतु वो तो तन-मन एवं प्राण से अपने गोपाल की थीं।

ऐसे वर को के वरूँ, जो जनमे मर जाय।
वर वरिए गोपालजी, म्हारो चुड़लो अमर हो जाय।।

मीराबाई को पहले पहल ससुराल में कुछ कटु अनुभव हुए किंतु बाद में भोजराज सहित सभी ने उनका साथ दिया। भोजराज की मृत्यु के पश्चात् परिस्थिति बदल गई। देवर राणा विक्रमादित्य तथा ननद ऊदाबाई ने उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी किंतु मीरा का भक्ति भाव निर्विघ्न चलता रहा। राणा के षडयंत्रों का उन पर कोई असर न हुआ। उनके द्वारा भेजा विष का प्याला भी अपने कान्हा का चरणामृत मान, पी मीरा अमर हो गई। राणा के अत्याचार लगातार बढ़ते गए तथा संत तुलसीदास की सलाह पर मीराबाई ने चित्तौड़ छोड़ दिया तथा अपने चचेरे भाई जयमल के पास मेड़ता चली गई। मेड़ता में उनका सत्संग निरंतर चलता रहा किंतु अन्ततोगत्वा मीराबाई ने मेड़ता भी छोड़ दिया तथा अपने श्याम की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़ीं जहाँ निकुंज वन में प्रभु की रासलीला में सम्मिलित हो जीवन कृतार्थ किया। वहीं उनकी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीवगोस्वामी से भेंट हुई और उनके स्त्री-पुरूष भेद के भ्रम को मिटा कर कई भक्ति पदों की रचना की *"अब तो हरी नाम लौ लागी"*।

मीरा के पदों में भक्ति की अजस्र धारा निरंतर बहती रही जो आज भी किसी कृष्ण प्रेमी के हृदय को भक्ति से सराबोर कर देती है।

ऐ री मैं तो प्रेम दिवानी मेरा दर्द न जाने कोय।
मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई

मीरा के पदों में दर्शन, विरह, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, ऋतु वर्णन, गुरू महिमा, लीला का सम्मिश्रण है, किंतु एक शाश्वत सत्य है कि प्रत्येक पद प्रेमा भक्ति रस से परिपूर्ण है जो प्रत्येक भक्त हृदय को आप्लावित करने में सक्षम है।

मीरा की भक्ति बचपन से ही धीरे-धीरे विकास की ओर बढ़ती हुई पराकाष्ठा तक पहुँची और अंत में द्वारकाधीश ने अपनी पाषाण मूर्ति को चैतन्य बना मीरा को अपने में ही समा लिया और इसके साथ भक्त और भगवान की एकात्मकता सिद्ध हुई।

- प्र.का. विधि एवं वसूली विभाग
नई दिल्ली

हिंदी को महिलाओं की देन

- परमजीत सिंह 'बेवली'

किसी भी साहित्य का इतिहास देखने से यह ज्ञात होता है कि साहित्य के विकास में पुरूषों के समान ही स्त्रियों का भी योगदान रहा है। संस्कृत साहित्य के विकास में अनेक महिलाओं ने योगदान किया है। इसी प्रकार उर्दू और अंग्रेज़ी, साहित्य के विकास में उन्होंने यथोचित हाथ बंटाया है। हिंदी साहित्य के प्रारम्भिक विकास में तो महिलाएं बराबर साहित्य की श्री-वृद्धि में योगदान देती रही है। इस दृष्टि से 'मीरा', 'सहजोबाई', 'ताज', 'सुभद्रा कुमारी चौहान' तथा 'महादेवी वर्मा' आदि अनेक महिलाओं का नाम लिया जा सकता है। अतः हिंदी को महिलाओं की देन पर विचार करने के पूर्व हिंदी-साहित्य की प्रकृति पर विचार कर लेना उपयोगी होगा।

महिलाएँ और लोक गीत :

भारतीय समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। श्रद्धा, करूणा, दया, ममता, स्नेह आदि सभी ऊँचे गुणों का निवास महिलाओं में अधिक रहता है। महिलाओं में हृदय की रागात्मक वृत्तियों की प्रबलता रहती है। हिंदी साहित्य का एक क्षेत्र लोक साहित्य है। जिसमें लोक-गीतों की प्रधानता है। वे लोक-गीत अनन्त काल से चले आ रहे हैं। अधिकांश में वे मौख्रिक हैं। इनको सर्वप्रथम पं० रामनरेश त्रिपाठी ने पुस्तकाकार संग्रहीत किया। इन लोक-गीतों के रचियता कौन थे, यह ज्ञात नहीं है। इनसे नारी जीवन की जो तन्मयता की झांकी प्राप्त होती है, उनसे ऐसा जान पड़ता है कि यह गीत नारी हृदय से निकले हुए भाव-कण हैं। उन लोक-गीतों में भारतीय संस्कृति सामाजिक भावना तथा स्त्रियों के विचार और सम्मान की धारणा व्यक्त होती है।

हिंदी साहित्य की महिला कवयित्रियाँ :

हिंदी साहित्य के भक्ति-युग में देश का वातावरण शांत होने लग गया था। निराश हिंदू जनता का ध्यान भक्ति-धारा में बहने लगा। उस समय 'मीरा' ने अपने पदों से हिंदी कविता का श्रृंगार किया। उसकी गूँज राजस्थान से लेकर सारे उत्तर भारत में पहुँची। भक्तों में मीरा के पद आदर से गाए जाने लगे। मीरा ने कृष्ण को अपना सर्वस्व माना और कहा कि -*'मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई'।* कृष्ण-प्रेम में इतनी तन्मयता से संभवतः सूर के सिवाय दूसरा कोई कवि नहीं रम सका। वह कहती है :-

'बसो मेरे नैनन में नन्द लाल।
साँवरी सूरति मोहनी मूरति, नैना बने विसाल।

तथा

'मीरा' के प्रभु गिरिधर नागर भगत-वछल गोपाल।'

भक्ति की इस तन्मयता ने अनेक, भक्तों को भगवद भक्ति की राह पर चलाया। मीरा के बाद 'राह-प्रवीत' एक ऐसी कवयित्री हुई जिसने अकबर बादशाह के बुलाने पर लिखा था कि -

'विनती राय प्रवीन की, सुनिये साहि सुजान।
जूठी पतरी भगत है, बारी बायरा स्वान।'

इस प्रकार की अनेक स्त्रियाँ रहीं, जिन्होंने साहित्य रचना स्वयं की या साहित्य रचना को प्रेरणा दी। भक्ति-भावना में श्रद्धा तथा आत्मसमर्पण आवश्यक होता है। ये दोनों प्रवृतियां स्त्रियों में ही अधिक होती है, अतः भक्ति के क्षेत्र में इन्हें अधिक सफलता मिली है। स्त्रियों में आज भी धार्मिक भावना अधिक देखी जाती है। इस धार्मिक भावना से प्रेरित हो कर अनेक स्त्रियों ने पदों तथा गीतों की रचना की है।

इसके अतिरिक्त 'ताज' जैसी अनेक मुसलमान महिलाओं ने भी हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि की। गिरिधर कविराय की पत्नी ने भी अनेक कुण्डलियों की रचना कर नीति और आदर्श की स्थापना की। इन महिला कवयित्रियों के अतिरिक्त प्रताप कुंवर बाई, सुंदर कुंवर बाई, रत्न कुंवर बाई, चन्द्रकला बाई, जुगुल प्रिया आदि महिलाओं ने बृजभाषा और राजस्थानी में कविताएं लिखीं।

आधुनिक युग में महिलाओं की देन :

आधुनिक युग में पाश्चात्य सभ्यता के प्रकाश में कई सभ्यताओं का विकास हुआ। नारी-शिक्षा, नारी-स्वतन्त्रता, समानता आदि की भावनाएँ बढ़ रही हैं। परिणामस्वरूप जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में

स्त्रियाँ पुरूषों के साथ आगे बढ़ रही हैं। भारतेन्दु युग तथा द्विवेदी युग में महिला साहित्यकारों का प्रभाव क्षीण था। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा आदि महिलाओं ने पर्याप्त रचनाएं की हैं।

सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएँ जीवन की दैनिक दिनचर्या से अधिक संबंधित हैं। उनका पारिवारिक जीवन सुखी था, उनकी भावनाएँ देश की तत्कालीन परिस्थितियों से विशेष रूप से प्रभावित थी। उनकी 'झांसी की रानी' शीर्षक कविता अधिक लोकप्रिय हुई है। 'वीरों का कैसा हो बसन्त?', 'बचपन' आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएँ हैं। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में काम किया है। उनकी अनेक कृतियां हिंदी में अमर रहेंगी। पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने जो कार्य साहित्यिक दृष्टि से किया वह सराहनीय है।

इसके बाद छायावादी कवितायों में रहस्यवाद को पुट देने वाली महादेवी वर्मा का नाम आता है। महादेवी वर्मा जी ने उच्च-शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने छायावादी कविताओं में मधुर पीड़ा की वेदना को व्यक्त किया। वह कहती हैं :

'मैं नीर भरी दुख की बदली।
परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली।'

'मधुर-मधुर मेरे दीपक जल'' शीर्षक कविता में कवयित्री ने अपने जीवन-दीप को जलाया तथा उसके प्रकाश से प्रियतम का पथ आलोकित किया है। वह प्रियतम भी ऐसा है कि जिसके आने-जाने का कोई 'पद-चिन्ह' शेष नहीं रह पाता। इस साधिका की भावनाएं अंतर्मुखी होकर स्मृतियों का जाल बुनती सी दीखती हैं। उनकी कल्पना में आध्यात्मिकता का पुट है यद्यपि वे व्यावहारिक दृष्टि से कट्टर धार्मिक नहीं जान पड़ती। महादेवी जी की अनेक रचनाएँ हैं जिनमें - 'नीहार', 'रश्मि', 'नीरजा', 'सन्ध्यागीत', 'दीप शिखा', 'अतीत के चल-चित्र' आदि मुख्य है। उनका कहना है कि दुःख मेरे निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता है।

महादेवी वर्मा

सुभद्रा कुमारी चौहान

इनकी कविताओं में सीमित क्षेत्रों में बँधी हुई असीम चेतनायों की करूणा है। इससे स्पष्ट है कि इनकी देन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है।

वर्तमान हिंदी साहित्य की सेवा में सुमित्रा कुमारी सिन्हा, कोकिल, विधावती मिश्र, तारा पाण्डेय, शकुन्तला आदि अनेक महिलाएं लगी हुई हैं। इन देवियों के लेखन-कला तथा कविताओं से हिंदी साहित्य का कोश निरंतर भर रहा है। वर्तमान युग में यह सामान्य धारणा बनती जा रही है कि स्त्रियां पठन-पाठन में पुरूषों से अधिक सफ़ल हो रही हैं।

उपसंहार :

हिंदी साहित्य का क्षेत्र व्यापक है। इसका संबंध जीवन के विभिन्न अंगों से है। आज जब स्त्रियों का समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की क्षमता बटोर रहा है तो साहित्य के क्षेत्र में उनका आना अच्छा ही है। साहित्य क्षेत्र में आने से वे अपने को ठीक ढंग से समझेंगी तथा उनके द्वारा जिस साहित्य का निर्माण होगा वह अधिक व्यवहारिक तथा उपयोगी होगा। स्त्रियों का अनुभव मानव जीवन को कर्तव्य-परायण बनाने में सहायक सिद्ध होगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य के विकास में महिलाओं का योगदान पहले तो कम रहा है पर अब उत्तरोतर बढ़ता जा रहा है। यह साहित्य निर्माण की दिशा में एक शुभ संकेत है। इस प्रकार हिंदी साहित्य इन महिलाओं का अत्यंत ऋणी रहेगा।

- आंचलिक कार्यालय, लुधियाना

बाल-मज़दूरी देश के लिए एक अभिशाप

- अभिनव विक्रम

अभी कुछ दिन पहले की ही बात हैं, मैं अपने कार्यालय से बाहर निकला तो मेरा ध्यान कुछ कूड़ा उठाने वाले बच्चों की ओर गया जिनकी उम्र 8 से 10 वर्ष के बीच ही होगी। अभी कुछ दूर ही चला था कि मेरे कार्यालय में ही कार्यरत एक अधिकारी मिल गए और हम कार्यालय के समीप स्थित निक्कू पार्क की ओर चल पड़े। अंदर हमें कुछ खाने का मन किया तो हम एक रेस्तरां की ओर गए वहाँ भी मेरा ध्यान कार्यरत बच्चों पर गया, रेस्तरां का हर काम बच्चे ही कर रहे थे और उनकी भी उम्र 10-14 के बीच ही थी। वहाँ से हम निकले तो मैं एक किरयाने की दुकान पर गया और पाया कि वहाँ पर भी एक 10-12 साल का बच्चा ही काम कर रहा था। यह देख कर मेरा ध्यान भारत की भीषण समस्या बाल-मज़दूरी की ओर आकर्षित हुआ। ऐसी घटना मेरे साथ ही नहीं हम सभी के साथ होती है। लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती हैं कि हम कितने जागरूक हैं।

यह माना जाता है कि भारत में 14 साल के बच्चों की आबादी पूरी अमेरिका की आबादी से भी अधिक है। भारत में कुल श्रम-शक्ति का लगभग 3.6 फ़ीसदी हिस्सा 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है। हमारे देश में हर दस बच्चों में से 9 काम करते हैं। यह बच्चे लगभग 85 फ़ीसदी पारंपरिक कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं जबकि 9 फ़ीसदी से कम उत्पादन, सेवा और मरम्मत के कार्यों में लगे हैं, सिर्फ़ 0.8 फ़ीसदी कारखानों में काम करते हैं।

यूनिसेफ़ के अनुसार बच्चों का नियोजन इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम जिन कारणों से करते हैं उनमें आम तौर पर ग़रीबी पहला कारण है। लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध क़ानूनों का लागू न होना, बच्चों के स्कूल भेजने के प्रति अनिच्छुक माता-पिता (वे अपने बच्चों को स्कूल की बजाय काम पर भेजने के इच्छुक होते हैं ताकि परिवार की आय बढ़ सके) जैसे अन्य कारण भी हैं और यदि एक परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र आधार बाल-श्रम ही हो तो कोई क्या कर सकता है। बाल-श्रमिकों की पहचान में अनेक समस्याएं भी हैं। आज लगभग हर कोई जानने लगा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है। इसीलिए आज जब कोई बाल-मजदूरी को लागू कराना चाहता है तो एक बच्चा ख़ुद अपनी समस्याओं को हमें बताता है और वह यह प्रमाणित करा देता है कि उसकी आयु 14 वर्ष से अधिक है और ऐसे में हर कोई अपने ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए ख़ुद को असहाय महसूस करता है। ये बच्चे न तो स्कूल जाते हैं न ही इनके जन्म का कोई प्रमाणिक रिकॉर्ड होता है। लोगों को यह भी लगता है कि माता-पिता द्वारा बच्चों को काम करने की छूट देने या उनके कारख़ाने में काम करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि माता-पिता द्वारा काम पर लगाए जाने वाले ऐसे बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक है, इन बच्चों

को छोटी उम्र में ही काम पर लगा दिया जाता है और ऐसे लोगों की ही वजह से इन बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

यह देखने में आया है कि बाल-मज़दूरी रोकने संबंधी नियम बन चुके हैं, लेकिन अभी भी इसे ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। बाल-मज़दूरी को बढ़ावा देने वाले खुद समाज के ग़रीब तबके से आते हैं इसलिए ऐसे लोगों को हिरासत में लेने या दण्डित करने के प्रति भी हमारी कोई रूचि नहीं दिखती। जहाँ लोग बाल-मज़दूरी से परिचित होते हैं वे इस अपराध से बच निकलने में सफ़ल हो जाते हैं। अतः हमें यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि बाल-श्रम अधिनियम (निषेध एवं विनियमन) को सही मायनों में लागू किया जा रहा है या नहीं।

यह भी देखा जा रहा है कि जिन बाल-मज़दूरों को मुक्त कराया जाता है, उनका पुनर्वास शीघ्र नहीं हो पाता नतीजा यह होता है कि वे फिर इस दलदल में फंस जाते हैं। ऐसे में हमें इसके खिलाफ़ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है कई सरकारें बाल-मज़दूरों की सही संख्या बताने से बचती हैं ऐसे में वे विशेष स्कूल खोलने की सिफ़ारिश करती हैं, तो उनकी संख्या कम होती है ताकि उनके द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों और कार्य-कलापों की पोल न खुल जाए। यह एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू हैं और आज ज़रूरत है कि इन सभी मसलों पर गहनता से विचार किया जाए। यदि सरकार सही तस्वीर छिपाने के लिए कम संख्या में ऐसे स्कूलों की सिफ़ारिश करती है तो यह नियमों को लागू करने एवं बाल-श्रमिकों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में एक गंभीर समस्या और बाधा है। जब तक पर्याप्त संख्या में संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, ऐसी समस्याओं से निपटना मुश्किल ही होगा।

यहाँ बाल-श्रम से निपटने की दिशा में न सिर्फ़ सोचने की आवश्यकता है, बल्कि इसके लिए कार्यरत विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय सहायता आबंटित करने की भी ज़रूरत है। हम पूरी तरह सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि किसी भी समस्या के निपटारे के लिए आम जन को ही जागरूक होना पड़ेगा जिस प्रकार वर्तमान में भ्रष्टाचार के खिलाफ़ जनता जागरूक हुई है। एक बार यदि समाज में बाल-श्रम के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो गई तो निश्चय ही इस अभिशाप से हमारा समाज मुक्त हो जाएगा।

- आंचलिक कार्यालय जालंधर

संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं

1.	असमिया	Assamese
2.	उड़िया	Oriya
3.	उर्दू	Urdu
4.	कन्नड़	Kannada
5.	कश्मीरी	Kashmiri
6.	गुजराती	Gujarati
7.	तमिल	Tamil
8.	तेलुगु	Telugu
9.	पंजाबी	Punjabi
10.	बांग्ला	Bangla
11.	मराठी	Marathi
12.	मलयालम	Malayalam
13.	संस्कृत	Sanskrit
14.	सिंधी	Sindhi
15.	हिंदी	Hindi
16.	नेपाली	Nepali
17.	कोंकणी	Konkani
18.	मणिपुरी	Manipuri
19.	बोडो	Bodo
20.	संथाली	Santhali
21.	मैथिली	Maithaili
22.	डोगरी	Dogri

संत तुकाराम

अमर कुलतार सिंह

भक्त भगवान का रूप है क्योंकि ईश्वर लीलाओं का गायन एवं दिन-रात का स्मरण उन्हें इस अवस्था में पहुँचा देता है। भक्त अपने बारे में मौन धारण किए रहते हैं। इस कारण उनके बारे में जानकारी देना कठिन कार्य है। भक्त जैसे दिखाई देते हैं, वैसे नहीं होते और जैसे होते हैं, वैसे दिखाई नहीं देते। यह अंतर आम जन-मानस की समझ से परे है। भक्त शिरोमणि तुकाराम जी के बारे में लिखने का यह अल्प प्रयास है।

संत तुकाराम का जन्म सन् 1608 में पुणे, महाराष्ट्र में एक छोटे से कस्बे 'देहू' में हुआ था। उनका जन्म दम्पत्ति 'मोरे' जिन का नाम बोल्होबाजी एवं कनकाई से शुरु होता है, हुआ था। उनके दो भाई थे। नीची जाति का होने के बावजूद भी उनका परिवार काफ़ी समृद्ध था और गाँव में एवं समाज में अच्छी पैठ थी। उनका वास्तविक नाम तुकाराम विहोलहोबा आम्बे था। तेरह साल की अल्पायु में परिवार का बोझ उनके ऊपर आ पड़ा। क्योंकि पिता का बीमारी के कारण देहान्त हो गया था एवं बाद में उनकी माँ भी चल बसी।

तुकाराम जी के दो विवाह हुए थे, उनकी पहली पत्नी रखुमाबाई का देहांत अल्पायु में हो गया था एवं उनकी दूसरी पत्नी जीजा बाई थी। जिन्हें 'अवाली' के नाम से जाना जाता है। तुकाराम जी की पत्नी जीजा बाई रोज़ गृह-कार्य कर, रसोई आदि बनाकर उनके लिए खाना लेकर भंडारा पर्वत पर जाती थी। उनके तीन बेटे थे जिनके नाम थे - सन्तू, बिथोबा एवं नारायण। तुकारामजी को महाराष्ट्र में संत तुकाराम के नाम से जाना-जाता था। दक्षिण भारत में उन्हें भक्त तुकाराम के नाम से जाना जाता था। संत तुकाराम को पहला आधुनिक मराठी कवि भी माना जाता है।

दक्षिण में उन दिनों अकाल पड़ा। 1629 ईसवी में देरी से बरसात हुई तो अतिवृष्टि के कारण फसल बह गई। 1630 में बरसात बिल्कुल भी न हुई। चारों और हाहाकार मच गया। अनाज और खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी। सन् 1631 में प्राकृतिक आपदाएं और भी चरम-सीमा पर पहुँच गईं। अतिवृष्टि और बाढ़ की चपेट में कुछ न बचा। भीषण अकाल की चपेट में तुकाराम जी का कारोबार, पशु-धन और साहूकारी सब कुछ नष्ट हो गया। तुकाराम जी के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा था, वह भी उन्होंने ज़रूरतमंदों में बाँट दिया। वे मुसीबतों को झेलते रहे। अन्ततः सत्य की खोज में निकल पड़े। चिरंतन सत्य प्राप्ति का संकल्प कर वे भामनाथ पहाड़ पर गए। कठिन तप किया। साँप, बिच्छू, चीटियों ने उनके शरीर को अपना बसेरा बना लिया। उन पर शेर ने आक्रमण किया पर वे टस से मस नहीं हुए। परमात्मा ने साक्षात् प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। उनका जीवन धन्य हो गया।

अकाल के बाद बिखरी गृहस्थी को पुनः बसाने के बजाय उन्होंने जीर्ण-शीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने पुण्य-प्राप्ति के लिए नहीं कराया था अपितु वहाँ पर भजन, कीर्तन, कथा एवं जागरण हो सके, इसलिए किया गया था। कीर्तन के लिए विशेष स्थान का निर्माण किया। वे प्रातः नित्य-कर्मो से निवृत्त होकर कुल देवता श्री रखुमाई का पूजन करने के बाद भंडारा पर्वत की ओर चले जाते थे। ज्ञानेश्वर की ज्ञान देवी, अमृतानुभव, एकनाथ जी भागवत टीका, भावार्थ रामायण, स्वात्मानुभव नामदेव जी अभंग, कबीर जी के पद आदि का तुकाराम जी ने परिशीलन किया। वेद,

पुराण, शास्त्रों आदि का उन्होंने पठन-पाठन किया। तुकाराम जी के जीवन का लक्ष्य लोक-कल्याण था। परमात्मा का संदेश घर-घर पहुँचाना था।

तुकाराम जी निरंतर भगवान की स्तुति का गायन करते एवं उनके मुख से उनके द्वारा रचित अभंग की ऐसी गंगा प्रवाहित हुई कि श्रोतागण भी उनमें डूब जाते। इसकी रचना उन्होंने अपनी मातृभाषा मराठी में की। अभंग में उनकी भावनाएं एवं दार्शनिकता प्रकट होती है। अपनी 41 साल की उम्र में उन्होंने 5000 से अधिक अभंगों की रचना की। अभंग में भगवान पाडुरंग का गुण-गान है। उनके अभंग जन-साधारण में बहुत लोकप्रिय थे। जिस कारण ऊँची जाति के लोग उन्हें घृणा एवं नफ़रत की नज़र से देखते थे क्योंकि उनके कारण उच्च-वर्ग जन-साधारण पर अपना प्रभाव खोता जा रहा था। तुकाराम जी की यश-गाथा शिवाजी महाराज तक पहुँची। उन्होंने अपने सेवकों के हाथ उनके लिए हीरे-जवाहरात, घोड़े एवं अन्य सामान भेजा। तुकाराम जी ने सारा सामान निरपेक्ष भाव से चार अभंगों के ख़त के साथ लौटा दिया। उनकी निर्लेप भावना को देखकर जब शिवाजी ख़ुद उनके पास भेंट लेकर उनसे मिलने लोहगांव आए तो तुकाराम जी ने उन्हें क्षात्रधर्म का उपदेश देकर विदाई दी। तुकाराम जी के आर्शीवाद से शिवाजी सामर्थ्य-संपन्न बनें।

उपदेश के रूप में उनका एक अभंग इस प्रकार है :

इससे आगे, यही उपदेश। अब न करें जीवन-विनाश।।
अनमोल आयु हैं ढल जाती। देखें, सोचें, ज्ञानी विचारी।।
तुका गीत गाए वही। जन के लिए उपदेश यही।।
तुका कहे लाभकारी बेपार करें। इससे अधिक क्या सिखाएं?
हित के लिए सचेत जो होते। उसके माता-पिता धन्य बन जाते।
सात्विक पुत्र-पुत्री कुल में जन्मता। उससे अधिक हर्ष होता।।
गीता, भागवत करना श्रवण। हो विठोना का अखंड चिंतन।।
वही लाभ, करें प्रभु चिन्तन। शुद्ध करें भाव, विचार, मन।।
तुका कहे करें थोड़ा बहुत अहसान।।

प्राणिमात्र के कल्याण के लिए उनके मन में कोई भेद-भाव नहीं था। वह सभी को समान दृष्टि से देखते थे :

''जवाब तीखें। तीर हाथों में ले फिरे।
नहीं लिहाज़। छोटा-बड़ा तुका करे।''

- प्र.का. अनुपालन विभाग, नई दिल्ली

चाहत

मनप्रीत कौर

जब मिली थी मैं तुमसे पहली बार
तुमसे फूलों की आशा की थी मैंने
फूल जो निशानी हैं -
प्यार की, अपनत्व की और रिश्तों की महक की।

मगर तुमने कहा-फूलों का क्या है
बाज़ार से ले लो
मिल जाते हैं आसानी से
किसी भी फूलों की दुकान से।

तुम शायद समझ ना पाए
मेरे मन की इच्छा को

मैं चाहती थी-
तुम्हारे दिए फूलों की महक से
महका लूं - मैं अपना जीवन

क्योंकि बाज़ार के फूलों में
न होगा तुम्हारा स्नेहिल स्पर्श
न ख़ुशबू, न गंध, न अपनत्व।

होगा तो सिर्फ़ बासेपन का एहसास
क्योंकि बाज़ार के लोग नहीं समझ पाते
मन के भावों को।

- सुपुत्री डॉ. चरनजीत सिंह
प्र.का. राजभाषा विभाग
नई दिल्ली

नई शाखाएँ

शाखा मेहराज, दिनांक 21.10.2011

शाखा हरदोई, दिनांक 21.10.2011

शाखा काल बंजारा, दिनांक 21.10.2011

शाखा द्वारका, दिनांक 04.11.2011

शाखा बवाना, दिनांक 02.12.2011

शाखा अजनाला रोड, दिनांक 28.12.2011

शाखा लक्खो के बहराम, दिनांक 29.12.2011

शाखा राजेहमुन्द्री, दिनांक 29.12.2011

नई शाखाएँ

शाखा गुंटूर, दिनांक 30.12.2011

शाखा गजरौला, दिनांक 30.12.2011

शाखा कैथल, पेहवा चौक, दिनांक 02.02.2012

शाखा सेलम, दिनांक 06.02.2012

शाखा छज्जलवडी, दिनांक 15.02.2012

शाखा खेड़ा, दिनांक 16.02.2012

शाखा काकी नाड़ा, दिनांक 24.02.2012

शाखा सीतापुर, दिनांक 24.02.2012

नए ए.टी.एम. का शुभारंभ

दिनांक 09.12.2011 को आदर्श नगर, लखनऊ में ए.टी.एम. का उद्घाटन करते हुए आंचलिक प्रबंधक महोदय।

दिनांक 09.12.2011 को राजाजीपुरम, लखनऊ में ए.टी.एम. का उद्घाटन करते हुए आंचलिक प्रबंधक महोदय।

दिनांक 09.12.2011 को दुर्गापुर में ए.टी.एम. का उद्घाटन।

दिनांक 24.12.2011 को उत्तम नगर, नई दिल्ली में ए.टी.एम. का उद्घाटन करते हुए कार्यकारी निदेशक महोदय।

शाखा में सीबीएस की शुरूआत

दिनांक 12.12.2011 को आंचलिक कार्यालय, लखनऊ के अधीन शाखा-पाण्डेयगंज, लखनऊ में सीबीएस की शुरूआत पर अरदास करते हुए आंचलिक प्रबंधक महोदय, स्टाफ-सदस्य एवं ग्राहक-गण।

दिनांक 18.01.2012 को आंचलिक कार्यालय-I, चण्डीगढ़ के अधीन शाखा सैक्टर-41, चण्डीगढ़ में सीबीएस का शुभारम्भ करते हुए आंचलिक प्रबंधक महोदय तथा साथ में उपस्थित अन्य अधिकारीगण।

शाखा स्थानांतरण

शाखा भवानीगढ़, जिला संगरूर का उद्घाटन करते हुए श्री एच. एस. मक्कड़, आंचलिक प्रबंधक।

शाखा श्री दुर्गियाना मंदिर के स्थानांतरण के अवसर पर उद्घाटन करते हुए श्री रविंदर गोसाईं, महाप्रबंधक। इस अवसर पर श्री परमिंदर सिंह वधवा आंचलिक प्रबंधक (शहरी) भी उपस्थित थे।

शाखा भडी, ज़िला फतेहगढ़ साहिब का उद्घाटन करते हुए महाप्रबंधक श्री रविंदर गोसाईं।

शाखा साकची, ज़िला जमशेदपुर का उद्घाटन करते हुए आंचलिक प्रबंधक श्री दीपक मैनी।

स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़ में भव्य कीर्तन-दरबार का आयोजन

दिनांक 11 फरवरी 2012 को चंडीगढ़ में आयोजित भव्य कीर्तन-दरबार के दौरान संसदीय कार्य मंत्री श्री पवन कुमार बंसल को सिरोपा और प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। इस अवसर पर स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़ के महाप्रबंधक श्री रविंदर गोसाईं, आँचलिक प्रबंधक (हरियाणा) श्री एस. एस. बेदी, आँचलिक प्रबंधक, चंडीगढ़(।।) श्री एम. पी. सिंह व बैंक के अन्य अधिकारीगण।

कीर्तन-दरबार के दौरान संसदीय कार्य मंत्री श्री पवन कुमार बंसल द्वारा महाप्रबंधक श्री रविंदर गोसाईं को सिरोपा भेंट किया गया। चित्र में चंडीगढ़ की पूर्व मेयर श्रीमती हरजिंदर कौर भी दृश्यमान हैं।

दिल्ली बैंक नराकास

राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार ग्रहण करते हुए सहायक महाप्रबंधक महोदय एवं प्रभारी राजभाषा।

गृह–पत्रिका की श्रेणी में बैंक की पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' को तृतीय पुरस्कार दिया गया, इस अवसर पर पुरस्कार ग्रहण करते हुए सहायक महाप्रबंधक व प्रभारी राजभाषा।

दिल्ली बैंक नराकास के तत्वावधान में हमारे बैंक द्वारा आयोजित 'चित्र–लेखन प्रतियोगिता' के विजेता पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

बैंकिंग विषयक लेख हेतु प्रथम पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री कंवर अशोक, प्रबंधक (राजभाषा)।

राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता हेतु द्वितीय पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री अजय अरोड़ा, वरिष्ठ प्रबंधक।

दिल्ली बैंक नराकास द्वारा आयोजित कवि–सम्मेलन में अध्यक्षीय संबोधन करते हुए राजभाषा प्रभारी डॉ. चरनजीत सिंह।

विभिन्न नराकासों में बैंक की गतिविधियाँ

स्थानीय प्र.का. चण्डीगढ़ द्वारा चण्डीगढ़ नराकास के तत्वावधान में आयोजित 'राजभाषा अधिकारी व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम' के उद्घाटन सत्र में राजभाषा अधिकारियों को प्रेरित करते, आंचलिक प्रबंधक श्री गुरनाम सिंह। एसटीसी के प्रधानाचार्य श्री एस. पी. एस. कलसी, नराकास सचिव श्री श्याम लाल मेहता (व.प्र.), श्री राजिन्दर सिंह बेवली (व.प्र.) और नराकास के नए सचिव श्री रवि अरोड़ा भी मंचासीन है।

लखनऊ बैंक नराकास के तत्वावधान में आयोजित अंतर-बैंक वाद-विवाद प्रतियोगिता में विभिन्न बैंकों के सहभागियों को संबोधित करते हुए श्री हर्षबीर सिंह, आंचलिक प्रबंधक।

लुधियाना नराकास द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा-2011 एवं हिंदी भाषण प्रतियोगिता के अवसर पर आंचलिक कार्यालय लुधियाना के नामित राजभाषा अधिकारी श्री परमजीत सिंह बेवली का स्वागत करते हुए न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आर. के. यादव तथा नराकास के सदस्य सचिव श्री प्रमोद शर्मा।

लुधियाना नराकास द्वारा आयोजित हिंदी काव्य-पाठ प्रतियोगिता में सहभागिता करते हुए नामित राजभाषा अधिकारी श्री परमजीत सिंह बेवली।

गृह-मंत्रालय द्वारा आंचलिक कार्यालय अमृतसर (शहरी) का निरीक्षण

गृह-मंत्रालय के उप-निदेशक श्री शैलेश कुमार सिंह आंचलिक कार्यालय अमृतसर (शहरी) का निरीक्षण एवं राजभाषा प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए।

हिंदी/पंजाबी कार्यशालाएं

आंचलिक कार्यालय, फरीदकोट, दिनांक 07.10.2011

आंचलिक कार्यालय, पटियाला, दिनांक 07.11.2011

आंचलिक कार्यालय, मुम्बई, दिनांक 11.11.2011

आंचलिक कार्यालय, चण्डीगढ़-I, दिनांक 11.11.2011

आंचलिक कार्यालय, चण्डीगढ़-II, दिनांक 23.11.2011

आंचलिक कार्यालय, दिल्ली-III, दिनांक 14.12.2011

आंचलिक कार्यालय, लखनऊ, दिनांक 21.12.2011

हिंदी/पंजाबी कार्यशालाएं

आंचलिक कार्यालय, कोलकाता, दिनांक 23.12.2011

आंचलिक कार्यालय, अमृतसर (शहरी), दिनांक 29.12.2011

आंचलिक कार्यालय, गुरदासपुर, दिनांक 14.01.2012

आंचलिक कार्यालय, चण्डीगढ़-I, दिनांक 14.01.2012

आंचलिक कार्यालय, चण्डीगढ़-II, दिनांक 03.02.2012

आंचलिक कार्यालय, मुंबई, दिनांक 24.02.2012

आंचलिक कार्यालय, दिल्ली-II, दिनांक 29.02.2012

बैंक द्वारा आयोजित विभिन्न कैम्प

शाखा मण्डी डबवाली द्वारा आयोजित क्रेडिट–कार्ड वितरण कैम्प में आंचलिक प्रबंधक श्री एस. एस. कालरा, लाभार्थियों को चैक वितरित करते हुए।

इस अवसर पर उपस्थित जी.सी.सी. के लाभार्थी।

शाखा भिण्ड द्वारा 'किसान क्रेडिट कार्ड' पखवाड़े के आयोजन अवसर पर लिया गया छाया–चित्र।

शाखा राजौरी गार्डन द्वारा बचत–खातों के लिए आयोजित विशेष कैम्प का दृश्य।

शाखा चौंगावां एवं शाखा मूघल द्वारा आयोजित कृषि ऋण–वितरण कैम्प का दृश्य।

आंचलिक कार्यालय पटियाला द्वारा
'किसान क्रेडिट कार्ड कैम्प'
का आयोजन

शाखा नाभा में आयोजित किसान ऋण मेले का दृश्य।

शाखा बरनाला में आयोजित किसान ऋण मेले में लाभार्थी।

शाखा धुरी में आयोजित किसान ऋण मेले के आयोजन के अवसर पर श्री के. पी. एस. आनन्द, मुख्य प्रबंधक व ऋण लाभार्थी।

16वां अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन

अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन में महाप्रबंधक महोदय का स्वागत करते हुए सहभागी।

दीप प्रज्ज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए महाप्रबंधक महोदय व अन्य अधिकारीगण।

समारोह का संचालन करते हुए वरिष्ठ प्रबंधक।

सहभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए महाप्रबंधक महोदय।

सहभागियों को संबोधित करते हुए डॉ. चरनजीत सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक।

सहभागिता करते हुए उपस्थित सहभागी।

विविध

कार्यकारी निदेशक महोदय व अन्य अधिकारीगण बैंक की गृह–पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का विमोचन करते हुए।

राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत शाखा सैक्टर–47 चण्डीगढ़ को प्रथम स्थान हेतु पुरस्कृत करते हुए आंचलिक प्रबंधक महोदय।

राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत शाखा मनौली, चण्डीगढ़ को द्वितीय स्थान हेतु पुरस्कृत करते हुए आंचलिक प्रबंधक महोदय।

अस्ति वसूली शाखा–II में कार्यरत श्री रघुनाथ सिंह, प्रबंधक को जनकपुरी मैट्रो स्टेशन पर एक बटुआ मिला, जिसमें 7100/- रुपए नकद तथा अन्य आवश्यक कागज़ात थे। जिसे उन्होंने उसके मालिक का पता लगाकर, लौटाकर अपने ईमानदारी तथा अच्छी भावना का परिचय दिया। पी.एस.बी. परिवार की ओर से इन्हें साधुवाद।

श्री कुलदीप सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (शाखा–छेहरटा, अमृतसर) को सम्मानित करते हुए 'भगत नामदेव वैलफेयर एसोसिएशन'' के प्रधान श्री गुरदीप सिंह जी।

गतिविधियाँ

स्थानीय प्रधान कार्यालय, आंचलिक कार्यालय-I, चण्डीगढ़, आंचलिक कार्यालय-II, चण्डीगढ़ तथा आंचलिक कार्यालय (हरियाणा), चण्डीगढ़ में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह।

आंचलिक कार्यालय (ग्रामीण), अमृतसर में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह।

आंचलिक कार्यालय, कोलकाता द्वारा आयोजित ग्राहक सम्पर्क सप्ताह के दौरान आंचलिक प्रबंधक महोदय।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेज — गृह-मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निदेशक के साथ उप-समिति के सदस्यों की बैठक के बाद विभिन्न मदों की संशोधित परिभाषाएं/स्पष्टीकरण

संकल्प : बैंकों ने निदेशक मंडल की बैठकों में लिए सभी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय संकल्प की श्रेणी में गिने जाने चाहिएं। किसी अन्य एजेंसी (भारतीय बैंक संघ, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक आदि) को विचारार्थ भेजे जाने वाले निर्णय भी संकल्प माने जाने चाहिएं।

सामान्य आदेश : राजभाषा विभाग, गृह-मंत्रालय, भारत सरकार के 30.5.1988 के ज्ञापन सं. 1/14034/3/88-राभा (क-1) के अनुसार सामान्य आदेश के अंतर्गत (1) स्थायी सरकार के ऐसे सभी आदेश, निर्णय और अनुदेश इसमें शामिल हैं, जो विभागीय प्रयोग के लिए हैं तथा (2) ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि जो कर्मचारियों के समूह के लिए हैं तथा (3) विभागीय हैं। साथ ही, किसी कर्मचारी को दिया गया ऐसा आदेश भी इस मद में गिना जाएगा, जिसका प्रभाव अन्य कर्मचारियों पर भी हो।

नियम : कार्य संचालन के लिए तैयार की गयी विधियाँ 'नियम' कहलाती हैं। इसमें किसी योजना, सेवा तथा खातों के बारे में बैंक जो आंतरिक नियम बनाते हैं, उन्हें भी शामिल किया जाए और उन्हें द्विभाषिक रूप में जारी किया जाए।

अधिसूचना : राज-पत्र में प्रकाशित होने वाली अधिसूचनाएं इसके अंतर्गत गिनी जाएंगी। जिस व्यवस्था के अधिकारी/प्राधिकारी के हस्ताक्षर में अधिसूचना प्रकाशित होगी, वह उसी संस्था की अधिसूचना मानी जाएगी।

प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टें : सभी संबंधितों को परिचालित की जाने वाली अथवा जनता के लिए जारी की जाने वाली अथवा सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्टें इस मद में गिनी जाएंगी।

प्रेस विज्ञप्ति : मुख्यालय से और संपूर्ण बैंक के काम-काज से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां द्विभाषिक रूप में ही जारी की जाएं, भले ही, ये दोनों भाषाओं में अथवा हिंदी में प्रकाशित न हो सकें।

संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें और कागज़ात

इसमें बैंकों की वार्षिक रिपोर्टें तथा किसी बैंक विशेष के विषय में संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले कागज़ात शामिल किए जाने चाहिएं।

संविदा और करार : दो संस्थाओं के बीच किये जाने वाले करारों और संविदाओं का निष्पादन द्विभाषिक ही होना चाहिए, किंतु दिन-प्रतिदिन के बैंकिंग कारोबार के संबंध में बैंक और ग्राहक के बीच किए जाने वाले करार इसमें शामिल नहीं होंगे। इन्हें द्विभाषिक रूप में (अर्थात् एक ही पृष्ठ पर हिंदी और अंग्रेज़ी रूपांतर साथ-साथ) तैयार करने पर अंत में एक ही जगह हस्ताक्षर करने से संविदा और करार का निष्पादन द्विभाषिक हो जायेगा। इन्हें दोनों भाषाओं में भरा भी जाना चाहिए।

लाइसेंस, परमिट और निविदा :

इनकी परिभाषाएं पहले ही स्पष्ट हैं।

स्थानांतरण आदेश :

जारी किए जाने वाले स्थानांतरण आदेश भी राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आते हैं।

नोटिस : कर्मचारियों के समूह को किसी विशेष विषय के संबंध में दी जाने वाली विशेष सूचनाएं और ग्राहक-समूह या जनता को दी जाने वाली सूचनाएं इस मद में शामिल की जानी चाहिएं।

माटी–घर

- सतविन्दर सिंह चावला

छंदों की भाषा में ढलते
जीवन भर यूं चलते-चलते
इक दिन कहीं ठहर जाना है
जल में प्यासा रह जाना है
छंदों की भाषा ....

अंधेरा होता है गहरा
पथ में दुर्दिन देते पहरा
क्या तू पार निकल पायेगा
सत्य को क्या झुठलायेगा
सब कुछ तुझको सहना होगा
कंटक पथ को गहना होगा
ये बसंत चले जाना है
अंत में पतझड़ ही आना है
छंदों की भाषा ....

निराशा का काला सा नभ
आशाओं के बादल दुर्लभ
जीवन दिखता एक व्यथा है
दुःख दर्दों की इक संस्था है
कुंठाओं के पर्यायों का
विषमता के अध्यायों का
विश्व-गरल सब पी जाना है
मार्ग कठिन तय कर जाना है
छंदों की भाषा ....

विषमता का प्रश्न उठाये
विवश स्थिति को दर्शाये
समय किसी को डस जाता है
धरी धरोहर हर जाता है
मृगतृष्णा के पंख लगाये
सुंदर स्वप्निल महल सजाये
केवल मन को बहलाना है
इक दिन "माटी-घर" पाना है।
छंदों की भाषा ....

- आंचलिक कार्यालय बरेली

आज लड़ाई ख़ुद से है

- अल्पा चतुर्वेदी

समय ने चोट दी है इतनी असरदार।
कलियुग हो गया और भी ख़ूंखार।।
आत्मा नहीं, जीता इंसान छल-कपट से है।
ग़ैर नहीं आज लड़ाई ख़ुद से है।।

सत्तावन में उठी थी देश के लिए तलवार।
बापू ने भी की थी यात्रा कई बार।।
गुम हो गया वो जज़्बा हर एक से है।
ग़ैर नहीं आज लड़ाई ख़ुद से है।।

खोखला करके देश, भर रहे हैं तिजोरियाँ।
रुला कर दूसरों को, कर रहे है ठिठोलियाँ।
तकलीफ़ में देख औरों को, सोते चैन से हैं।
ग़ैर नहीं आज लड़ाई ख़ुद से है।।

भुला कर शहीदों की कुर्बानियाँ।
खो चुके हैं आज़ादी की सब निशानियाँ।।
छूट चुका नाता कब का सच्चाई से है।
ग़ैर नहीं आज लड़ाई ख़ुद से है।।

पाप देख के इतना अब तो जगाओ चेतना।
तिरंगा हाथ में उठाये बन जाओ एक और अन्ना।
आज़ाद भारत की गुलामी तोड़नी आज फिर से है।
ग़ैर नहीं आज लड़ाई ख़ुद से है।।

- शाखा मुरादाबाद

सृजन

- दर्शन सिंह

अपने मन में
उठते वलवलों को,
यूँ ही न दबने दो
इन्हीं के सैलाबों में
सृजन छिपा होता है।

मुखौटा ओढ़, झूठ मूठ ही
हँसने वाले..क्या जानें!
रौब व रसूख़ वाला भी
कभी-कभी... छिपकर रोता है।

हर काला व उजला पक्ष
रात और दिन सी
नैसर्गिक आवर्ती लिए होता है, क्यूँकि
कृष्ण-पक्ष के बाद ही
शुक्ल-पक्ष होता है।

वृक्ष (बीते हुए) कल का
पौधा है, अपने एकल अस्तित्व में
घना... फलदार... छायादार दिखता है
परंतु कभी सोचा है।
माटी और बीज के घनत्व में
एक अनोखा रिश्ता होता है।

अपने मन में
उठते वलवलों को,
यूँ ही न दबने दो
इन्हीं के सैलाबों में
सृजन छिपा होता है।

-स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़

मृग-तृष्णा

- राजीव राय

नशा-ए मधुशाला के अलावा कितने नशे, कुछ और भी हैं,
कुछ बहाने मेरे जीने के लिए, कुछ और भी हैं।
इश्क़ में पागलपन के बहाने, कुछ और भी हैं
ठंड में कप-कपाने के इरादे, कुछ और भी हैं।
कई रंगीन दुनिया मेरी आँखों से परे, कुछ और भी हैं
नाक़ाम इश्क़ में रुसवा होकर जीने के बहाने, कुछ और भी हैं।
दर्दे-दिल में दफ़न तन्हाईयों के, कुछ राज़ और भी हैं
आशिके-सीने में दफ्न हरे ज़ख़्म, कुछ और भी हैं।
काले सायों के दामन में, दर्द लेगा एक और अंगड़ाई
दर्द भरी तन्हाइयों में दर्द नए, कुछ और भी हैं।
ग़मों की काली छाया में, कोई न दे आवाज़ मुझे
वादिए ग़मों के सिवा मेरे ठिकाने, कुछ और भी हैं।
दिल ने दिल में पुकारा था जिनको, ग़मे-दिल की गहराईयों से,
पा कर खो देने के बहाने, कुछ और भी हैं।

- प्र.का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

ग़ज़ल

- जसवंत सिंह जस

दिल बेआराम है तेरे बग़ैर
बहुत उदास शाम है तेरे बग़ैर

अश्क़ों का आँखों में बह आना
बात अब तो आम है तेरे बग़ैर

ना उम्मीदियों के साए में डूबी हुई
उम्मीदें मेरी तमाम हैं तेरे बग़ैर

ज़िंदगी में कुछ भी तो नहीं ज़िंदगी सा
ये तो फ़क़त इक नाम है तेरे बग़ैर

तस्वीरें तेरी देखना या करना याद तुम्हें
बस यही अब काम है तेरे बग़ैर

प्र.का. सतर्कता विभाग, नई दिल्ली

माशूक़

- अमित मोहन अस्थाना

मैं जग से दूर अकेला हूँ
मेरा जग में घर-द्वार नहीं
मैं सुख के गाऊँ गीत कहाँ
जब किया किसी ने प्यार नहीं

मैं तपी धूप में खेला हूँ
जब सावन था नज़दीक नहीं
मैं झूले डालूं वन में कहाँ
जब मेघों का आसार नहीं

दिल की चारदीवारी में
सपनों के पौधे सींचे थे
ऋतुएं आईं, चली गईं
पर इनमें आई बहार नहीं

बस एक अदद माशूक़ थी वो
पर किया मुझे था प्यार नहीं
ज़िंदगी जो मेरे साथ रही
बस यूँ ही थी कुछ ख़ास नहीं।

आंचलिक कार्यालय, बरेली

भगवान के घर देर है अँधेर नहीं

कमलरूप सिंह गोइंदी

बचपन में अपनी दादी के मुँह से मैंने उक्त वाक्य अनेक बार सुना था। बचपन में जब मैंने पहली बार इस वाक्य को सुना तो मुझे न तो इसका अर्थ ही समझ में आया और न ही मैंने इसे समझने का प्रयास ही किया। फिर कुछ समय के बाद पिताज को बैठक में अपने मित्रों के साथ बतियाते सुना - "समझ में नहीं आता दुनिया किस ओर जा रही है, भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ और न जाने कौन-कौन से कुकर्म फैल रहे हैं। हर आदमी इनके परिणामों से भली-भांति परिचित है लेकिन फिर भी सभी प्रकार के दुराचार संसार में पनप रहे हैं। और मज़े की बात तो यह है कि भगवान के घर में देर तो है ही साथ ही अंधेर भी है।" पिताजी के मुँह से इस प्रकार की बातें सुनकर मेरी इच्छा हुई इन शब्दों का अर्थ जानने की। परंतु उनसे पूछने का साहस इसलिए न हुआ कि कहीं पिताजी से डांट ही न पड़ जाए कि बड़ों की बातों से तुम्हें क्या लेना-देना।

बड़े तो हमेशा ही बच्चों को यह कह कर चुप करा देते हैं कि तुम अभी बच्चे हो लेकिन वह यह नहीं जानते कि बच्चे भी दिमाग रखते हैं और कुछ कर गुज़रने की क्षमता रखते हैं। मेरी प्रकृति कुछ इस प्रकार की थी कि मैं किसी नई बात के पता लगने पर किसी से पूछने की बजाए उसे अपने बाल-सुलभ दिमाग से हल करने की सोचना आरम्भ कर देता था। इस शब्द पर भी मैंने अपना दिमाग चलाना आरंभ कर दिया।

मैंने निर्णय लिया कि सर्वप्रथम मुझे भगवान के घर को ढूँढना होगा और जब मुझे 'उसका' घर मिल जाएगा तो मैं इस बात को जानने का प्रयत्न करूंगा कि 'उसके' घर में अँधेरे के कारण किसी काम को करने में देरी क्यों लग रही है। (मैं अंधेर का अर्थ अँधेरा समझ रहा था)

तब मेरी धारणा थी कि भगवान शायद इस धरती पर ही कहीं हमारे आस-पास ही रहते होंगे और मुझे उन्हें खोजने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। 'उसके' घर को ढूँढ़ते ही मैं यह भी पता लगा लूंगा कि 'उनके' घर में अँधेरा क्यों है और यदि संभव हुआ तो मैं, अपने पिताजी से कह कर 'उनके' घर में रोशनी का प्रबंध भी करा दूंगा। संदर्भवश बता दूँ कि मेरे पिताजी स्थानीय बिजली बोर्ड में आला अधिकारी हैं। लेकिन अफ़सोस मेरे लाख प्रयास के बाद भी मुझे 'उनका' घर खोजने में सफलता प्राप्त नहीं हुई।

मेरा मन उदास हो गया। तभी भगवान का घर ढूँढने के लिए मुझे एक क्लू मिला। मैंने अक्सर देखा था कि जब भी कोई व्यक्ति है, भगवान कहता है या क्रिकेट में कोई खिलाड़ी सैंकड़ा बनाता है तो वह झट से आकाश की ओर देखने लगता है। इससे मुझे एक बात समझ में आई कि भगवान ऊपर आकाश में ही कहीं रहते होंगे। पर यहीं पर एक बात और मन में कौंध गई कि जब भगवान कहीं आसमान में ही रहते हैं तो वहाँ पर अंधेरे का क्या काम?आकाश में दिन के समय तो सूरज की रोशनी होती हैं और रात में चाँद की और जब चंदा मामा गायब होते हैं तो तारे अपनी-अपनी टार्च लिए भगवान के घर में उजाला फैलाते रहते हैं।

मुझे तो लगा था कि मैं जल्द ही भगवान का घर खोज लूंगा लेकिन यह सब कुछ सोचने के बाद मुझे लगा कि 'उसके' घर का पता लगाना शायद मेरे बूते की बात नहीं हैं। फिर यही सोच कर कि भाड़ में जाए यह कहावत, मुझे क्या लेना-देना, मैंने इस विषय पर सोचना ही बंद कर दिया।

बचपन खेल-कूद में बीत गया। उसके बाद जवानी तो वह पीरियड होता है, जब किसी और चीज़ की ओर ध्यान ही नहीं जाता। वह तो केवल मौज-मस्ती में ही गुज़र जाता है। यही वह समय होता है जब आदमी की ज़रूरतें भी मुँह बाय खड़ी रहती हैं। आम तौर पर हम लोगों की इच्छाएं भी

बहुत होती हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब हमें कोई और रास्ता नहीं सुझता तो हम भगवान का सहारा लेते हैं।

मैंने भी अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान का सहारा लिया। एक दिन अपनी पत्नी की कार लेने की इच्छा पर मैंने काली माँ के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, कि मुझे जल्दी ही कार दिलवाएं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब कुछ ही दिन के बाद मेरे पड़ोसी ने नई कार लेने पर लड्डुओं का डिब्बा हमारें घर भिजवाया। अपनी मन्नत की बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी। मन ही मन मैंने सोचा कि जिस भगवान के मंदिर में मैंने मन्नत मांगी थी शायद आजकल 'उनकी' इतनी चलती न हो।

इसलिए अगली बार जब अपना फ्लैट लेने की सोची तो मैंने इस बार हनुमान मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन मन्नत मांगी। कुछ दिन बाद जब मेरे जूनियर ने डी.डी.ए. द्वारा फ्लैट के ड्रॉ में अपना नाम आने पर ऑफिस में सबका मुँह मीठा कराया तो मेरे धैर्य का बाँध टूटता दिखाई पड़ा।

पर मैं कब हार मानने वाला था। मैंने फैसला किया कि सबसे पहले यह पता लगाया जाए कि शहर के किस धर्म-स्थल की मानता सबसे अधिक हैं। मैंने यह खोजने का अभियान आरम्भ कर दिया कि शहर के किस धर्म-स्थल में सबसे अधिक लोग जाते हैं। ऐसा करते समय मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि ऐसा धर्म-स्थल किसी भी धर्म से संबंधित हो सकता है।

उसके बाद मैंने एक मन्नत गुरुद्वारे में, एक चर्च में और एक मन्नत मस्जिद में जाकर मांगी। मज़े की बात यह रही कि तीनों मन्नतें पहले की भांति फ्लॉप सिद्ध हुई। मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। एक बार फिर से बचपन में पिताजी के मुख से सुने शब्द फ्लैश-बैक की तरह मेरे मानस-पटल पर दौड़ गए। मुझे महसूस होने लगा कि वास्तव में भगवान के घर में देर ही नहीं बल्कि अंधेर भी है। अवश्य ही उसके कार्यालय में कोई ऐसा कर्मचारी बैठा होगा जो कुछ न कुछ लेकर ही काम करता है। मेरा भगवान के प्रति विश्वास डोलता नज़र आया।

लेकिन जब जवानी से मैंने अधेड़ उम्र में कदम रखा तो सोच का ढ़र्रा बदला। यह उम्र ऐसी होती है जब आदमी की सोच में काफी परिवर्तन आ जाता है। अब उसे धर्म-कर्म की बातों में आनंद आना शुरू हो जाता है। यही वह समय होता है जब उसे अपने बचपन की बातें भी याद आनी आरम्भ हो जाती हैं। मेरे साथ ही ऐसा ही कुछ हुआ। बचपन की शरारतों के साथ अचानक एक दिन मुझे अपनी दादी के मुँह से सुनी कहावत फिर से याद हो आई। मेरा मन बेचैन हो उठा। मैं, फिर से उस कहावत का मतलब खोजनें में लग गया लेकिन इस बार उसे देखने का नज़रिया कुछ और था।

जीवन के 60 बसंत देखने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई थी कि भगवान ऊपर आसमान में या किसी धर्म-स्थल में नहीं रहते हैं। 'उनका' वास्तविक स्थान तो भगत के हृदय में होता है अर्थात् वह तो यहीं हमारे बीच ही हम सब के भीतर समाए हुए हैं। यह बात भी स्पष्ट हो गई कि 'उनके' कार्यालय में ऐसा कोई भी भ्रष्ट कर्मचारी काम नहीं कर रहा है जो इस प्रकार की हेरा-फेरी करे और न ही कभी 'उनके' कंप्यूटर में कभी किसी प्रकार का वायरस ही आता है। दरअसल हमारी ही आदत कुछ ऐसी है कि हम हमेशा ही 'उनसे' कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और चाहते हैं कि इधर हमने प्रार्थना की और उधर हमें इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाए। देरी लगते देख यह मान लेते हैं कि वह हमारी मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं या शायद पूरी ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि हर समय तो 'उनके' स्टॉक में हर वस्तु उपलब्ध नहीं होती न। उपलब्धता के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उनके मन में होती हैं - कि क्या मांगने वाला सच में उस वस्तु के लायक भी हैं?

करोड़ो लोगों की अनेकों मांगे रोज़ ही उनके पास पहुँचती रहती होंगी। सभी मांगों को एक साथ पूरा करना शायद उन्हें उचित प्रतीत न होता हो। और फिर शायद एक बात 'उनके' मन में आती होगी कि यदि वे तुरंत ही किसी की मांग को पूरा कर देंगे तो फिर 'उनकी' पूजा-अर्चना कौन करेगा। आख़िर 'उनका' भी तो मन है जिसे सुख-दुख की अनुभूति होती होगी और वे लोगों को धर्म-स्थलों में जाकर नाना प्रकार से अपनी भक्ति दिखाने का नज़ारा देख कर प्रसन्न्ता का अनुभव करते होंगे। अतः वे चाहते होंगे कि लोग 'उनके' नाम को जपते रहें और धार्मिक स्थल भीड़ से भरे रहें। इसके विपरीत यदि वे मानव की मांग को तुरंत पूरा करने लगें तो मनुष्य की जायज़-नाजायज़ सभी मांगे पूरी होने लगेगीं और मनुष्य सब काम-धंधे छोड़कर धर्म-स्थलों पर बैठा रहेगा जिसके परिणामस्वरूप लोग आलसी हो जाएंगे और किसी प्रकार का काम करने में उनकी कोई रूचि न रह जाएगी।

इसलिए आवश्यक है कि हमें मांग करने के बाद थोड़ा धीरज रखना चाहिए और अपना कर्तव्य अर्थात 'उनकी' पूजा-अर्चना को करते रहना चाहिए और उस परम-पुरुष पर विश्वास रखना चाहिए। फिर देखना इस कहावत का अर्थ पूरी तरह से अपनी समझ में कैसे नहीं आता।

-प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग
नई दिल्ली

बच्चों की कलम से

न्याय

हर्षिता सहगल

एक जमींदार एक प्रसिद्ध मंदिर में श्रद्धा और ईमानदारी से काम करता था। वह रोज़ देखता था कि मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए सैंकड़ों लोग आते हैं। उसने सोचा कि भगवान दिन भर भक्तों को दर्शन देने के लिए खड़े रहते हैं, वह ज़रूर थक जाते होंगे।

एक दिन उसने भगवान से कहा, "भगवान आप दिन भर भक्तों को दर्शन देते-देते थक जाते होंगे। अगर आप माने तो मैं एक दिन आप की जगह खड़ा रह सकता हूँ और आप अपनी थकान दूर कर सकते हैं। विश्राम कर सकते हैं।"

भगवान ने मन की भावना को भांपते हुए कहा कि "मुझे एक दिन का अवकाश लेने में कोई अपत्ति नहीं हैं। मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा, परंतु तुम्हें एक काम करना होगा, बस मुस्कुराते रहना। ना ही किसी चीज़ में दख़ल देना। बस इतना याद रखना कि तुम भगवान हो और तुम्हारा हर चीज़ का कोई मास्टर प्लान है।" जमींदार मान गया।

अगले दिन जमींदार भगवान के स्थान पर खड़ा हो गया। तभी एक अमीर आदमी दर्शन के लिए आया। उसने कुछ अच्छी रकम भगवान को चढ़ाई और प्रार्थना की कि उसका व्यापार उन्नति करे। जाते समय गलती से उस व्यापारी का पर्स वहीं गिर गया जो कि पैसों से भरा हुआ था। परंतु जमींदार जो भगवान के रूप में वहाँ खड़ा था उसे बुला नहीं सकता था कि आप का पर्स गिर गया है। उसने अपने आपको नियंत्रित किया और कुछ न बोला।

व्यापारी के जाने के बाद एक ग़रीब आदमी दर्शन के लिए आया। उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और भगवान को अर्पित करते हुए कहा कि यह मेरे पास अंतिम सिक्का था जो मैंने आपके श्री चरणों में चढ़ा दिया है। फिर भी रोज़ आपके दर्शनों के लिए आता रहूँगा। उसने यह भी कहा कि वह अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। मैंने सब कुछ तुम पर छोड़ दिया है। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा।

प्रार्थना ख़त्म करने के बाद जब उस ग़रीब आदमी ने आँखें खोलीं तो उसे पैसों से भरा हुआ पर्स मिला। उसने भगवान को धन्यवाद देते हुए वह पर्स उठाया और चला गया।

भगवान के रूप में जमींदार ने देखा परंतु वह कुछ कह न सका। क्योंकि उसको आदेश था कि वह कुछ नहीं बोलेगा। वह केवल मुस्कुरा कर रह गया।

कुछ देर बाद एक नाविक भगवान के दर्शन करने के लिए आया। उसने भगवान से अपनी शुभ यात्रा के लिए प्रार्थना की। तभी वह अमीर आदमी पुलिस के साथ मंदिर में आया और कहा कि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया है। उसने वहाँ नाविक को देखा और कहा कि इसे गिरफ़्तार करो इसी ने उसका पर्स लिया है। भगवान के रूप में खड़ा व्यक्ति कहना चाहता था कि इसने पर्स नहीं चुराया परंतु वह कह नहीं सकता था। वह बहुत परेशान हो उठा।

नाविक ने भगवान की तरफ देखा और कहा कि एक ईमानदार व्यक्ति को यूं सजा दे रहे हो। मैंने इसका पर्स नहीं चुराया। अमीर ने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे चोर मिल गया है।

भगवान के रूप में खड़ा जमींदार अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि अगर मेरी जगह असली भगवान होते तो वह भी ज़रूर इसमें दख़ल देते और सारी बात सही-सही बताते। ऐसे सोच कर वह बोल उठा कि नाविक चोर नहीं है। एक ग़रीब आदमी चोर है जिसने तुम्हारा पर्स उठाया है। अमीर आदमी बहुत खुश हुआ। उसने और नाविक ने भगवान को धन्यवाद दिया।

रात में जब असली भगवान वापिस आए और जमींदार से पूछा कि उसका आज का दिन कैसा रहा, तो जमींदार ने कहा कि "मैंने सोचा था कि जो कुछ आपका काम है बहुत आसान है परंतु यह मेरा भ्रम था। अब मुझे लगता है कि तुम्हारा दिन भी बहुत मुश्किल होता होगा। परंतु मैंने एक अच्छा काम किया है।" तब उसने भगवान को सारी कहानी सुनाई। जमींदार ने सोचा भगवान उनकी बात सुनकर बहुत खुश होंगे। परंतु भगवान सब किस्सा सुनकर बहुत परेशान हो गए।

भगवान ने कहा कि "तुम मेरे प्लान की मुताबिक क्यूं नहीं चले। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तुम क्या समझते हो कि यहाँ जो भी आता है मैं उनके दिल का हाल नहीं जानता हूँ।

वह अमीर आदमी जिसने मुझे अच्छी रकम भेंट में चढ़ाई वह सब उसने ग़लत तरीके से कमाया हुआ धन था। परंतु वह जो गरीब आदमी था उसने अपनी नेक कमाई में से श्रद्धा से वह अंतिम सिक्का भी मुझे चढ़ा

दिया क्योंकि उसे मुझ पर विश्वास था। वह नाविक उसने कुछ भी अपराध नहीं किया था। परंतु यदि वह जहाज ले कर जाता तो उस रात वह समुद्री तूफ़ान में फंस जाता और उसकी मृत्यु हो जाती। यदि वह गिरफ़्तार हो कर जेल में जाता तो वह बच जाता।

पर्स ग़रीब आदमी के पास ही जाना चाहिए था क्योंकि वह सच्चे मन से मेरे दर्शन करने आता है और अपनी पूंजी में से जो बनता है मुझे भेंट करता था। वह उस पैसे को भी मुझे ही भेंट करता रहता। उस अमीर आदमी के कर्म ख़राब थे। उसका पैसा किसी नेक इंसान के पास पहुँच जाता और अच्छे कामों में उसका उपयोग होता तो उस के बुरे कर्म भी कुछ कम हो जाते और वह नाविक भी बच जाता।

परंतु तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया और अपने प्लान के मुताबिक काम किया।

शिक्षा : भगवान के पास सब के लिए न्याय है।
ज़रूरत है तसल्ली रखने की।

सुपुत्री श्री हरीश सहगल
प्र.का., आई.टी. विभाग, नई दिल्ली।

प्राथमिकता

- हरसिमरत कौर

बुलावे का अतिशीघ्रता से जवाब देते हुए डॉक्टर ने शीघ्रता से अस्पताल में एक ज़रूरी सर्ज़री के लिए प्रवेश किया। अपने कपड़े बदले और सीधा सर्जरी ब्लॉक की ओर चला गया। वहाँ बच्चे का पिता डॉक्टर की प्रतीक्षा कर रहा था और बैचेनी से चहल-कदमी कर रहा था। डॉक्टर को देखते ही पिता चिल्लाया :

''यहाँ आने में इतना समय! पता नहीं है मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़तरे में है। क्या यही है ज़िम्मेदारी का अहसास?''

डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, ''मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अस्पताल में नहीं था एवं जैसे ही मुझे बुलावा आया, मैं जितनी शीघ्रता से आ सकता था, आया हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि आप शान्त हो जाएं ताकि मैं अपना काम शीघ्रता से कर सकूं।''

''शांत! कैसे रहूँ?'' पिता फिर चिल्लाया, 'यदि आपका बेटा सर्जरी रूम में होता तो देखता कैसे शान्ति से बैठे रहते?''

डॉक्टर इस बार हल्का सा मुस्कराये और समझाते हुए बोले कि ''भगवान से प्रार्थना कीजिए। हमारा निर्माण इस मिट्टी से हुआ है और इसी मिट्टी में एक दिन समा जाएंगे। डॉक्टर नहीं बल्कि भगवान ही किसी की ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है। जा कर अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। हम भगवान की कृपा से अपना काम पूरी निष्ठा से करेंगे।

असंतोष प्रकट करते हुए पिता ने कहा कि ''सलाह देना बहुत आसान होता है।''

सर्जरी ने कुछ घंटों का वक़्त लिया जिसके पश्चात डॉक्टर चेहरे पर संतुष्टि के भाव लेकर बाहर आकर पिता से कहा, ''भगवान का लाख-लाख शुक्र है, उसने आपके बेटे को बचा लिया एवं लड़के के पिता के किसी भी प्रश्न का जवाब न देते हुए लगभग भागते हुए डॉक्टर ने कहा कि ''यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो नर्स से पूछ लेना।''

डॉक्टर के ऐसे व्यवहार को देखते हुए पिता ने नर्स को टिप्पणी की कि यह डॉक्टर इतना हठी क्यों है? क्या वह कुछ मिन्टों के लिए रुक नहीं सकता था तब तक हम अपने बेटे की कुशलता जान लेते।

नर्स का चेहरा आँसुओं से भर गया एवं वह इतना ही उत्तर दे सकी कि इस डॉक्टर के बेटे की कल सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी एवं वे शमशान घाट में थे, जब हमने उन्हें आपके बेटे की सर्जरी के लिए बुलाया था। उन्होंने वह छोड़कर सर्जरी से आपके बेटे की ज़िंदगी बचा ली है। अब अपने बेटे के अंतिम क्रिया के लिए शमशान घाट चले गए हैं।

- सुपुत्री अमर कुलतार सिंह
प्र.का. बोर्ड विभाग, नई दिल्ली।

वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं - ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाएं

- नीलम मल्होत्रा

आर्थिक उदारीकरण ने एक प्रतिस्पर्धात्मक युग की रचना की है जिसने सेवा-क्षेत्र, विशेषतः बैंकिंग उद्योग को प्रभावित किया है। खुदरा बैंकिंग वातावरण में सूचना प्रौद्योगिकी, प्रभावी सेवा-वितरण, एवं ग्राहक-संतुष्टि ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतियां हैं, जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। गलाकाट प्रतिस्पर्धा और सिकुड़ती ब्याज-दरों ने बैंकों को ऐसी निर्णय-प्रणाली अपनाने को मजबूर कर दिया है जो कि उन्हें स्थान चयन से लेकर अपनी कार्य दक्षता का मूल्यांकन और ग्राहकों के रूझान का अध्ययन करने में सहायक हो।

वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य वैश्वीकरण व आर्थिक उदारीकरण के कारण पूरी तरह से प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग में बदल चुका है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग के कारण आ रहे परिवर्तनों और ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं ने नई-नई संभावनाओं को जन्म दिया है।

परंपरागत विधियों में आर्थिक सेवा प्रदाता निम्न आय वर्ग को वैयक्तिक रूप में आमने-सामने सेवा प्रदान करते हैं, जिसमें संसाधन महत्वपूर्ण है। इन विधियों में आर्थिक संस्थानों को शाखा नैटवर्क बनाने के लिए भवन, प्रशिक्षित स्टाफ़ इत्यादि के लिए ऊँची कीमत चुकानी पड़ती है। इन सब का हल है वैकल्पिक डिलीवरी चैनल। वैकल्पिक डिलीवरी चैनल कम लागत मूल्यों में वैयक्तिक सेवाओं और चैनल सेवाओं का विस्तार ऐसे क्षेत्रों में करते हैं जहाँ परंपरागत तरीके नहीं पहुँच पाते। इसके अलावा बचत एवं भुगतान उत्पादों को सुविधाजनक, लाभदायक और कुशल बनाते हुए उत्पाद में विविधता भी लाते हैं। यदि ग्राहक की दृष्टि से देखें तो ये डिलीवरी चैनल दूरस्थ भुगतानों द्वारा ऐसी सेवा प्रदान करते हैं जिसका पहले उदाहरण नहीं मिलता।

वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के रूप में बैंक आजकल निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं :

ई-बैंकिंग :

ई-बैंकिंग का आगमन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद निजी नेटवर्क तथा विशेष साफ़्टवेयर की सहायता से हुआ। परंतु ई-बैंकिंग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इंटरनेट को जाता है। जिसकी सहायता से ई-बैंकिंग विश्वसनीय और उपयोगी बन सकी। इसके द्वारा अंतर्देशीय व्यापार में और अंतर्देशीय मौद्रिक लेन-देन में काफी वृद्धि हुई। ई-बैंकिंग की कुछ अति लोकप्रिय विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- कहीं से भी बैंकिंग
- रियल टाईम बैंकिंग
- कम लागत में उत्तम सेवा
- लंबी कतारें नहीं
- आसान एवं तुरंत ऋण प्रदान करना
- 24 x 7 बैंकिंग
- सुरक्षित और संरक्षित बैंकिंग
- बैंक सदैव आपके साथ
- वित्तीय-समावेशन

मोबाइल बैंकिंग

मोबाइल बैंकिंग सेवा का प्रयोग हम अपने मोबाइल पर बैंकिंग संव्यवहारों के लिए कर सकते हैं। यह सुविधाजनक होने के साथ-साथ सुरक्षित भी है। मोबाइल बैंकिंग के द्वारा हम बैंकिंग सेवाएं जैसे कि - भुगतान करना, शेष राशि संबंधी जानकारी प्राप्त करना, धन का प्रेषण करना इत्यादि कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग के सहयोग से चेक बुक या कार्ड की मांग कर सकते हैं। अपने बिल का भुगतान, निजी अलर्ट, प्रतिभूतियों के मूल्य की अधिसूचना, स्टाक ट्रेडिंग की जानकारी, मोबाइल रिचार्ज, इत्यादि कार्य कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग सेवा ग्राहकों के लिए ही लाभप्रद नहीं है अपितु बैंकों के लिए भी लाभप्रद है। मोबाइल सेवा पर होने वाली परिचालन लागत परंपरागत विधियों पर होने वाली लागत से बहुत कम है। परंपरागत विधियों की तुलना में मोबाइल बैंकिंग में त्रुटियों की संभावना न के बराबर है।

प्वायंट ऑफ सेल पर नकदी

इस सुविधा के अंतर्गत चुने हुए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर मूलभूत बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना और बिना खरीद किए ग्राहकों को ₹ 1000 तक की नकदी निकालने की सुविधा प्रदान की जाती है।

क्रेडिट कार्ड

हम सभी को जीवन के विभिन्न अवसरों पर भांति-भांति की वस्तुओं तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है। हमारे समाज में इन वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्तिकर्ता उपलब्ध रहते हैं। जब-जब हम इन वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय/उपभोग करते हैं तब-तब हम इनके मूल्य भुगतान का

दायित्व भी ग्रहण करते हैं। इस दायित्व का उन्मोचन करने के लिए बैंक हमें विभिन्न प्रकार के विकल्पों का आमंत्रण देते हैं जिनमें से एक 'क्रेडिट कार्ड' है। क्रेडिट कार्ड विभिन्न स्थानों पर सामान खरीद एवं नकद आहरण का आसान साधन है, जिसमें जारीकर्ता संस्था हमारी ओर से भुगतान करती है तथा इस ऋण को हम बाद में चुकाते हैं।

डेबिट कार्ड

डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ही दूसरा रूप है जिसमें ग्राहक का धन ही प्रयोग होता है या हम कह सकते हैं कि सदैव उस के पास रहता है। डेबिट कार्ड के होने से नकद राशि लेकर चलने का जोखिम नहीं लेना पड़ता क्योंकि इसमें किसी भी समय किसी भी ए.टी.एम. से नकद राशि आहरण की सुविधा उपलब्ध है। इसीलिए डेबिट कार्ड को ''प्लास्टिक मनी'' भी कहा जाता है।

डेबिट कार्ड होने से ग्राहक को घर में अनावश्यक पैसा रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती ओर अपनी जमा-राशि पर रोज़ के जमा-शेष पर ब्याज का लाभ मिलता है। डेबिट कार्ड के माध्यम से हम अपने पैसे का हिसाब रख सकते हैं और हमारे खाते में कितनी शेष राशि है व पिछले लेन-देन के ब्यौरे की पूछताछ भी मनी स्टेटमेंट द्वारा कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के प्रयोग से ग्राहक को शाखा में नहीं आना पड़ता, जिससे उसके समय व धन दोनों की बचत होती है। डेबिट कार्ड न केवल ग्राहक को पैसा उपलब्ध करवाता है अपितु उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। कुछ बैंक ग्राहकों को डेबिट कार्ड के साथ मुफ़्त वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा भी देते हैं।

चैक ट्रंकेशन व कलेक्शन

हमारे देश में आपस में भुगतान-कैश, चैक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से किया जाता है। चैक के माध्यम से भुगतान करने की स्थिति में भुगतान प्रक्रिया, प्राप्तकर्ता को चेक देने से प्रारंभ होती है। उसे भुगतान पाने के लिये अपने बैंक खाते में उस चेक को जमा करना होता है। यदि भुगतानकर्ता व प्राप्तकर्ता दोनों का बैंक एक ही है तो आंतरिक ट्रांसफर द्वारा भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन दोनों के बैंक अलग-अलग हैं तो समाशोधन गृह के माध्यम से भुगतान किया जाता है जो कि विभिन्न बैंकों के मध्य चैकों के आदान-प्रदान करने व भुगतान प्राप्त करने का प्लेटफार्म प्रदान करती है। किंतु समय के साथ-साथ चैकों की संख्या में वृद्धि होती गई, जिसके कारण समाशोधन गृह में चेकों की छंटाई व लेन-देन में बहुत सी परेशानियां आने लगी।

इन समस्याओं से निबटने के लिए चैक ट्रंकेशन व कलेक्शन प्रणाली विकसित की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत संग्रहकर्ता शाखाओं के द्वारा संग्रह हेतु प्राप्त चैक, बैंक की नोडल शाखा को भेजे जाते हैं। नोडल शाखा अपनी सभी शाखाओं से प्राप्त चैकों की इमेज स्कैन करके इंटरनेट द्वारा समाशोधन गृह को भेजती है। चैकों की इमेज के साथ-साथ चैकों से संबंधित अन्य जानकारी भी भेजी जाती है। इस प्रकार चैकों को भौतिक रूप से भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रणाली के अंतर्गत नेट्वर्क के माध्यम से पूर्णतः सुरक्षित लेन-देन करने के लिए आधुनिक क्रिप्टोग्राफ़ी तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है।

डोर स्टैप बैंकिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप ग्राहकों के घर पर बैंकिंग सेवा पहुंचाने के प्रयास किए। जो कि डोर स्टैप बैंकिंग के रूप में हमारे सामने है। डोर स्टैप बैंकिंग के अंतर्गत वैयक्तिक ग्राहकों के अलावा कारपोरेट ग्राहक, सरकारी विभाग एवं सार्वजनिक उपक्रमों को भी लक्षित किया गया है। डोर स्टैप बैंकिंग के अंतर्गत दी जा सकने वाली सेवाएं निम्नलिखित हैं :

- नक़दी उठाना
- चैक/डिमांड ड्राफ्ट आदि प्रपत्रों को उठाना
- चैक के बदले नकदी का भुगतान
- डिमांड ड्राफ्ट की सुपुर्दगी
- कम मूल्य के नकद जमा एवं भुगतान
- मूलधन एवं ब्याज की वसूली
- जमा-निधि संकलन
- लघु बीमा/म्युचुअल फंड/पैंशन उत्पादों/अन्य तीसरी पार्टी उत्पादों की बिक्री

डोर स्टैप बैंकिंग, बैंकों, ग्राहकों एंव अन्य संस्थाओं के लिए लाभकारी है। एक तरफ यह बैंकों की पहुँच दूर-दराज के गाँवों में पहुंचाता है तथा दूसरी ओर इस कार्य के लिए मिलने वाला कमीशन उन संस्थानों के लक्ष्य साधन में मददगार साबित होता है। इसीलिए आज के ग्राहकों की अपेक्षाओं और देश के समेकित आर्थिक विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डोर स्टैप बैंकिंग अति आवश्यक है।

गिफ्ट कार्ड

आज के आधुनिक युग में बदलती बैंकिंग व्यवस्था के साथ प्लास्टिक गिफ़्ट कार्ड का उपयोग भी बढ़ गया है। इस का उपयोग काफी आसान है। यह एक ऐसा उपहार प्रमाण-पत्र है जिसके सहयोग से उपभोक्ता कोई

वस्तु खरीद सकता है। इस के आकार के कारण इसे साथ रखने में काफी सुविधा रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कार्ड में बार कोड की जगह कार्ड के पिछले भाग में मैगनैटिक स्ट्रिप रखा जाता है। जिसमें इसका मौद्रिक मूल्य समाहित रहता है।

पेरोल कार्ड

पेरोल कार्ड एक भुगतान पद्धति है और कर्मचारियों को वेतन उपलब्ध कराने का बहुत ही सुविधाजनक तरीका है। यह नियोक्ताओं/संस्थाओं की पेरोल लागत कम करने में, कार्य क्षमता बढ़ाने में एवं कर्मचारियों में संस्था के प्रति आत्मीयता बढ़ाने में सहायक है। यह पारंपरिक पेरोल चेक का योग्य विकल्प है जो नकदी निकालने तथा पी.ओ.एस. लेन-देन में सुविधा प्रदान कर अलग वेतन खाता रखने की आवश्यकता को दूर करता है। पेरोल कार्ड बार-बार चार्ज किया जा सकने वाला प्रीपेड कार्ड है। हर वेतन अवधि के दौरान कर्मचारियों के द्वारा अर्जित वेतन उनके कार्ड में उपलब्ध हो जाता है और वे उसे वेतन के दिन प्राप्त करते हैं। पेरोल कार्ड धारक इसे हर उस जगह उपयोग में ला सकता है जहाँ डेबिट कार्ड प्रयोग में लाया जाता है।

अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन

पहले किसी भी आई.पी.ओ./एफ.पी.ओ. आदि को हम केवल कागज़ पर प्रत्यक्ष आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदित कर सकते थे। उसकी भी निश्चित अवधि तक पहुँचने की गारंटी नहीं होती थी। किंतु आज हम उस तक़नीकी मुकाम पर हैं, जहाँ पूर्ण सुनिश्चितता के साथ आस्बा के प्रयोग से तत्काल आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आस्बा एक पूरक प्रक्रिया है जो कि सार्वजनिक निर्गमों के लिए आवेदन करने का पुराना तरीका यानि चैक-ड्राफ्ट की प्रक्रिया के साथ मौजूद रहेगी। इस पूरक प्रक्रिया में आवेदक, आवेदित राशि को अपने बैंक खाते में अवरुद्ध करने के लिए प्राधिकृत करता है। आस्बा की सुविधा उपलब्ध कराने वाले बैंक को एससीएसबी कहा जाता है।

डीमैट एवं आनलाईन ट्रेडिंग

डीमैट शब्द अंग्रेज़ी के डी-मेडिरियलाइजेशन से लिया गया है जिसका अर्थ भौतिक अवस्था से मुक्त करना है। लिमिटेड कम्पनी में निवेश करने पर कम्पनी शेयर सर्टिफिकेट देती है जो कि भौतिक रूप में कागज़ पर छपा होता है। परंतु वर्तमान नियमों के अनुसार निवेशक को एक डीमैट खाता खोलना आवश्यक है। इस खाते में निवेशक का विभिन्न कंपनियों में निवेश किए गए शेयरों का विवरण रहता है। ग्राहक डीमैट खाते का संचालन इंटरनेट द्वारा भी कर सकता है जिसे आनलाइन ट्रेडिंग कहते है।

निष्कर्ष :

जब मैंने अपना पहला बचत बैंक खाता खुलवाया था तो मुझे पास-बुक मिली थी जिसमें नकद जमा करवाने के बाद उसे किसी और दिन बैंक में जाकर अद्यतन करवाना पड़ता था। तब यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तीस वर्ष के बाद अर्थात आज के समय में बैंकिंग इस मुकाम तक पहुँच जाएगी कि बैंक से संबंधित सारे कार्य घर बैठे-बैठे ही कर सकेंगे। यह सब आधुनिक तकनीक़ की सहायता से ही संभव हो सका है। उपरोक्त सभी सुविधाओं को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि उपलब्ध सुविधाएं अपनी चरम-सीमा पर है परंतु आने वाली नई तकनीक़ ग्राहकों को और क्या सुविधाएं प्रदान करेगी यह भविष्य के गर्भ में छिपा है।

तकनीक़ चाहे जिस भी मुकाम पर पहुँच जाए परंतु ग्राहकों को बैंकिंग से कुछ निम्नलिखित आधारभूत अपेक्षाएं सदैव रहेगी :

- किसी भी दिए गए आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई।
- खाता खोलने में विलंब न होना।
- ग्राहक संबंधी सभी सूचनाओं को ग्राहकों तक शीघ्रातिशीघ्र पहुँचाना।
- पास-बुक व लेखा विवरण को शीघ्रातिशीघ्र अद्यतन करना।
- ग्राहक द्वारा मांगी गई जानकारी शीघ्र प्रदान करना।
- ऋण-आवेदन की प्रक्रिया को कम-से-कम समय में पूरा करना।
- ब्याज व अन्य किसी प्रभार के बारे में सही जानकारी देना।
- खातों के संचालन में किसी भी परिवर्तन की जानकारी शीघ्र देना।
- चैकों के संग्रहण और समाशोधन में लगने वाले समय को कम-से-कम करना।
- चैक बुक/ड्राफ्ट जारी करने व धन संग्रहण/भुगतान में न्यूनतम समय लगाना।
- सभी शिकायतों का शीघ्र निपटारा करना।
- तीसरी पार्टी के उत्पादों की सही जानकारी देना।
- कांउटर पर कुशल एंव त्वरित सेवाओं को सुनिश्चित करना।
- बैंक शाखा परिसर में सहायता डेस्क स्थापित करना।

इस प्रकार बैंकों की लाभप्रदता के लिए भी यह आवश्यक है कि वे समय-समय पर ग्राहकों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के बारे में सर्वेक्षण करते रहें ताकि बैंक ग्राहकों को अधिक सुचारु, त्वरित व त्रुटि-रहित सेवा प्रदान कर सकें।

- प्र.का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

सूचना का अधिकार

- त्रिलोचन सिंह

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 एक ज्वलंत विषय के रूप में उभरा है। सूचना का अधिकार सही शब्दों में जीने का अधिकार बन गया है। प्रायः हम सभी ने स्कूली शिक्षा में एक जुमला अवश्य पढ़ा-सुना होगा कि "Democracy is for the People, of the People & by the People" अर्थात् लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का तथा जनता के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र है।" इस अधिनियम में इस जुमले की स्पष्ट झलक नजर आती है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य 'लोकतांत्रिक शासन में सरकारी मशीनरी के क्रियाकलापों में पारदर्शिता तथा सरकार और सरकारी मशीनरी को जनता के प्रति जवाबदेही को उजागर करना है।' इस अधिनियम को समझने के लिए इसे दो भागों में विभाजित किया गया है :-

क. अधिनियम के कुछ आधार-भूत तथ्य
ख. कार्य-विधि

क. अधिनियम के कुछ आधार-भूत तथ्य

1. यह अधिनियम दिनांक 12.10.2005 से जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत वर्ष में लागू किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य का स्वयं का एक पृथक अधिनियम है।
2. कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी तंत्र (केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के कार्यालय अथवा उनके अधीन कार्यरत कार्यालय/विभागों) से अपने लिए जानकारी अथवा अपनी समस्याओं से जुड़ी सूचनायें तथा सार्वजनिक हित से जुड़ी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
3. इस अधिनियम के अंतर्गत लोक-प्राधिकारी के द्वारा सरकारी तंत्र के प्रत्येक कार्यालय में जन-सूचना अधिकारी तथा सहायक जन-सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो आपके द्वारा सादे कागज़/निर्धारित प्रारूप पर किया गया आवेदन स्वीकार करता है।
4. आप सामान्यतः ₹ 10 की फीस (अलग-अलग केन्द्र/राज्यों में अलग-अलग फीस) के साथ अपना लिखित आवेदन कर सकते हैं। यह फीस ₹ 10 के करेन्सी नोट/पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन के साथ दस्ती अथवा साधारण/पंजीकृत डाक के माध्यम से संबंधित विभाग के जन-सूचना अधिकारी को भेजनी होती है। ग़रीबी-रेखा के नीचे रहने वालों के लिए कोई शुल्क नहीं है। आवेदन सादे कागज़ अथवा उस संस्थान के द्वारा आर.टी.आई. के आवेदन के लिए बनाए गए प्रारूप पर हिंदी/अंग्रेजी/स्थानीय भाषा में किया जा सकता है। इस आवेदन में आवेदक अपना नाम, तारीख, पत्राचार का पता, इच्छित जानकारी का विवरण, यदि संस्थान के विभाग के नाम का पता हो तो संबंधित विभाग के नाम का उल्लेख अवश्य करें।
5. संबंधित विभाग से सूचना को किसी भी लिखित रूप में, फ़ोटोकापी के रूप में तथा फ्लॉपी के रूप में लिया जा सकता है। यदि किसी दस्तावेज़/कागज़ की फोटो-प्रति अपेक्षित हो तो ₹ 2.00 प्रति पेज की दर से तथा फ्लॉपी की स्थिति में ₹ 50.00 प्रति फ्लॉपी अथवा डिस्क के हिसाब से फ़ीस देय होगी। यदि किसी भी फाईल या रिकार्ड का निरीक्षण करना हो तो प्रथम 1 घंटे की कोई फ़ीस नहीं, बाद में हर पंद्रह मिनट या उसके भाग के निरीक्षण के ₹ 5.00 के हिसाब से फ़ीस देय होगी। संबंधित फ़ीस का भुगतान करने पर इसकी रसीद प्राप्त की जा सकती है।
6. अधिनियम में उल्लिखित धारा 8 तथा 9 में दिए गए कारणों को छोड़कर, संबंधित विभाग किसी भी सूचना देने से यह कह कर इंकार नहीं कर सकते कि संबंधित सूचना या उसका कोई हिस्सा आवेदक से संबंधित नहीं है।
7. वाँछित सूचना प्राप्त न होने की दशा में उसी विभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन किया जा सकता है तथा वहाँ भी किसी कार्रवाई के न होने पर केंद्र सरकार के मामले में केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सरकार के मामले में राज्य सूचना आयुक्त के पास आवेदन किया जा सकता है।
8. प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त अपने-अपने स्तर पर निपटाये गए मामलों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर संसद/राज्य की विधान-सभाओं के पटल पर प्रस्तुत करते हैं।

कार्य-विधि :

प्रथम चरण : आवेदन को सादे कागज़ अथवा निर्धारित प्रारूप पर लिखकर ₹ 10.00 के फ़ीस के साथ विभाग को भेजा जा सकता है। जन-सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, सहायक जन-सूचना अधिकारी के पास आवेदन पहुँचने के 35 दिनों के भीतर तथा जहाँ तृतीय पक्षकार का हित सम्मिलित हो वहाँ 40 दिनों के भीतर तथा किसी भी जन-साधारण व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से जुड़े मामलों की सूचना की जानकारी 48 घंटे के भीतर संबंधित कार्यालय/जन-सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना देनी अनिवार्य होती है।

द्वितीय चरण : यदि किसी कारणवश एक महीने में उत्तर न आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित कार्यालय के ही प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को आवेदन/शिकायत की जा सकती हैं। इसके लिए साधारण कागज़ पर आवेदन के साथ संबंधित विभाग को भेजे गए पिछले आवेदन की फोटोप्रति लगानी होती है। यह प्राधिकारी संबंधित विभाग में जन-सूचना अधिकारी से वरिष्ठ पद का अधिकारी होता है। यह प्रायः कम ही देखने में आया है कि इस स्तर पर भी आवेदन पर कार्यवाही न हो। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्देशानुसार आपके आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी अथवा इस पत्र की कार्रवाई के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सम्मुख आवेदन के संबंध में उत्तर/समस्या के निवारण के लिए निर्धारित की गई तारीख़ पर आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तारीख़ पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सम्मुख एक ओर संबंधित विभाग/कक्ष के कर्मचारी/अधिकारी तथा दूसरी ओर शिकायतकर्ता/आवेदक को सुना जाएगा तथा संबंधित सूचना/कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।

तृतीय तथा अंतिम चरण : यदि कोई व्यक्ति इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है या फिर संबंधित कार्यालय से नियत अवधि के भीतर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए लिखित अपील/शिकायत इससे आगे भी केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग को की जा सकती हैं। संपूर्ण भारत में फैलाये गए आयोग के कार्यालयों का पता इंटरनेट पर मौजूद हैं। यह सूचना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से प्राप्त सूचना पर संतुष्टि न होने पर अथवा संबंधित कार्यालय में कोई भी सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर भेजना अपेक्षित है। आयोग को भेजे जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ संबंधित कार्यालय के जन-सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के साथ किए गए पत्र-व्यवहार को संलग्न किया जाना चाहिए।

द्वितीय/अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा आवेदन के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित आयोग द्वारा निर्धारित की गई तारीख़ पर एक ओर शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता तथा दूसरी ओर संबंधित जन-सूचना अधिकारी को संबंधित माननीय सूचना आयुक्त की उपस्थिति में सुना जाएगा। इस संबंध में यदि संबंधित विभाग ने जानबूझ कर देरी से सूचना/अधूरी सूचना/सूचना उपलब्ध न करवाई हो तो संबंधित माननीय आयुक्त के द्वारा प्रतिदिन ₹ 250.00 की दर (अधिकतम ₹ 25000 तक) की राशि का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसकी कटौती संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के वेतन में से ही की जाएगी। इसके अलावा धारा 20(2) के तहत संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश भी की जाएगी तथा सही सूचना भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस प्रकार अब आप अपनी वांछित जानकारी/सूचना को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष :

इस प्रकार इस अधिनियम का लाभ कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही उठा सकता है। किसी भी सरकारी विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के किए गए कार्यों की सूचना संबंधित विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

किसी जानकार व्यक्ति का कहना है कि यदि समाज जागरूक हो जाए तथा इस अधिनियम पर ईमानदारी से कार्यान्वयन किया जाये तो भारतीय समाज के लिए यह अधिनियम राम-बाण से कम नहीं है। तभी तो हरियाणा सरकार इस अधिनियम को स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में जोड़ने का प्रस्ताव लाई है। आजकल विभिन्न प्रतियोगिताओं/पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थी भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी उत्तर-तालिका की मांग भी कर रहे हैं। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार/मंत्रियों तक की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आपके निवास स्थान में आपके क्षेत्र से चुने विधायक अथवा सांसद ने आपके क्षेत्र के विकास के लिए कितना धन कहाँ खर्च किया, इसकी जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। पुलिस स्टेशन से एफ.आई.आर. की प्रति भी प्राप्त की जा सकती है। न्यायालय में चल रहे कई मुकद्में सुलझाने में सुविधा हो रही है, क्योंकि न्यायालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से सूचना के रूप में लिए गए प्रमाण को वैध ठहराया गया है। किसी भी सरकारी संस्थान के नियमों/विनियमों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। किसी भी सरकारी विभाग द्वारा आपसे संबंधित फाईल में क्या कार्यवाही/टिप्पणी की गई, इससे भी आप को अवगत करवाया जा सकता है। यहाँ तक कि आजकल अधिकांश विभागों में कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को भी कर्मचारी के कार्य-पटल पर रख दिया जाता है ताकि कर्मचारी स्व-मूल्यांकन कर सके। इस प्रकार से कई सूचनायें जो एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन-काल में इन सरकारी विभागों से प्राप्त नहीं कर सकता था, वे सूचनायें अब आसानी से प्राप्त कर पाना संभव हो गया है।

लोकतंत्र के एक प्रखर प्रहरी के रूप में 'सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 तैयार किया गया है। इसके कारण सभी को, सभी के हक़ का, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। जिसके फलस्वरूप लोक-तंत्र अब अपने अर्थ के अनुरूप ''जनता के लिए, जनता का तथा जनता के द्वारा चलाया जाने वाला तंत्र'' अपनी वास्तविकता के निकट प्रतीत होने लगा है।

- प्र.का. राजभाषा विभाग,
नई दिल्ली

सेवा-निवृत्तियाँ

मुख्य महाप्रबंधक

श्री परमजीत सिंह घावरी
प्रधान कार्यालय
जोखिम प्रबंधन विभाग

महाप्रबंधक

श्री जे. एस. कोचर

श्री राकेश कुमार खुराना

श्री गुलजार सिंह अरोड़ा

उप महाप्रबंधक

श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा

श्री परमिन्दर सिंह वधवा

सहायक महाप्रबंधक

श्री इकबाल सिंह मोंगा

श्री बलदेव सिंह

श्री राजिन्दरपाल सिंह

मुख्य प्रबंधक

श्री सरनजीत सिंह

श्री रणजीत कुमार खन्ना

श्री मोहिन्दर पाल सिंह

श्री सुरिंदर सिंह कालरा

श्री जगमिंदर सिंह

श्री सुरिंदरजीत सिंह सोइन

श्री बाल कृष्ण सोबती

श्री दलजीत सिंह

श्री उजागर सिंह

श्री रविकांत मारकन

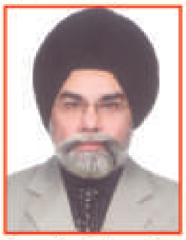

श्री सुरजीत सिंह सचदेवा

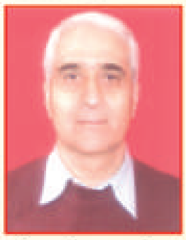

श्री सतीश कुमार रैना

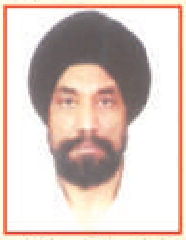

श्री प्रीतम सिंह ओबी

पी.एस.बी. परिवार अपने सेवा-निवृत्त साथियों के स्वस्थ एवं सुखमय जीवन की कामना करता है।

सेवा-निवृत्तियाँ

	वरिष्ठ प्रबंधक
श्री गुरदेव सिंह अनेजा	आंचलिक कार्यालय, अमृतसर (ग्रामीण)
श्री बलदेव सिंह जस्सल	शाखा-सैक्टर-36, चण्डीगढ़
श्री मंजीत सिंह सीतल	शाखा-गांधी नगर, पटियाला
श्री कुलदीप सिंह ग्रेवाल	लीड बैंक, लुधियाना
श्री वासुदेव छाबड़ा	शाखा-जैतो
श्री कंवलजीत सिंह	आंचलिक निरीक्षणालय, चण्डीगढ़
श्री हर्षवर्धन सिंह	आंचलिक निरीक्षणालय, चण्डीगढ़
श्री करमजीत सिंह	शाखा-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली
श्री चरनजीत सिंह सोढ़ी	आंचलिक कार्यालय, लुधियाना
श्री गुरजीत सिंह रेखी	शाखा-जनकपुरी, नई दिल्ली
श्री गुरचरन सिंह भाटिया	शाखा-आसिफ़ अली रोड, नई दिल्ली
श्री टी.पी.एस. आनन्द	आंचलिक निरीक्षणालय, चण्डीगढ़
श्री निरमल सिंह	आंचलिक कार्यालय, चण्डीगढ़- ।।
श्री मनविंदर सिंह अरोड़ा	शाखा सैक्टर-21 सी, चण्डीगढ़
श्री राजिंद्र कुमार गांधी	शाखा कश्मीरी गेट, दिल्ली
श्री कुलदीप सिंह बेदी	स्थानीय प्रधान कार्यालय, चण्डीगढ़
श्री जनक सिंह दर्दी	आंचलिक कार्यालय, हरियाणा
श्री इकबाल सिंह	प्रधान कार्यालय, अग्रिम विभाग
श्री जे. एस. लूथरा	आंचलिक कार्यालय, लुधियाना
श्री हरभजन सिंह	शाखा मॉडल टाउन, पटियाला
श्री हरबंस सिंह	शाखा कुक्कड़ माजरा
श्री राजीव बख्शी	शाखा हेडों
श्री सुरिंदर सिंह	प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
श्री राजिंद्र कुमार	प्रधान कार्यालय, भविष्य निधि विभाग नई दिल्ली
श्री नरेश कुमार सचदेवा	शाखा सैक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली
श्री मनमोहन सिंह	आंचलिक कार्यालय- ।, नई दिल्ली
श्री लेखराज चुघ	प्रधान कार्यालय, जोखिम प्रबंधन विभाग नई दिल्ली
श्री अशोक कुमार सिंघला	आंचलिक कार्यालय- ।, चण्डीगढ़
श्री इंद्रजीत सिंह सचदेवा	प्रधान कार्यालय, निरीक्षण विभाग, नई दिल्ली
श्री कुलवंत सिंह	शाखा अशोक विहार, नई दिल्ली
श्री हरचरन सिंह कोहली	शाखा संतपुरा, नई दिल्ली
श्री इन्द्रजीत सिंह चावला	प्रधान कार्यालय, अग्रिम विभाग,
श्री प्रीतपाल सिंह ओबराय	प्रधान कार्यालय, समायोजन विभाग नई दिल्ली
श्रीमती शबनम रहेजा	आंचलिक कार्यालय- ।, नई दिल्ली

कम्प्यूटर पर हिंदी में किए जाने वाले कार्य

1. पत्राचार।
2. प्रबंध सूचना-प्रणाली की विभिन्न मदें।
3. नेम बोर्ड/नेम प्लेट्स।
4. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) की विभिन्न मदें।
5. प्रशिक्षण सामग्री (पावर पॉइंट में प्रस्तुति सहित)
6. वेतनपर्चियां और वेतन पत्रक।
7. नये खाताधारियों को जारी किया जाने वाला स्वागत-पत्र।
8. नये खाताधारियों का परिचय देने वालों को जारी किया जाने वाला धन्यवाद पत्र।
9. पास-बुकों में प्रविष्टियां
10. ग्राहकों को खाता विवरण देना।
11. विभिन्न बिलों और भत्तों के भुगतान से संबंधित कार्य।
12. बैठकों से संबंधित सूचनाएं, कार्य-सूची और कार्य-विवरण।
13. स्थापना और स्टाफ़ से संबंधित सभी कार्य।
14. समूह बीमा से संबंधित सूचनाएं।
15. नीति-संबंधी दिशा-निर्देश।
16. सभी प्रकार की प्रचार सामग्री।
17. आवधिक रिपोर्टें।
18. विवरणियां।
19. शाखा बैंकिंग।
20. ऋण वसूली के लिए अनुस्मारक।
21. भविष्य निधि और पेंशन का ब्यौरा।
22. ऋण-मंज़ूरी संबंधी सूचनाएं।
23. बैंकर चेक और ड्राफ्ट।
24. भुगतान आदेश/जमा आदेश।
25. सावधि जमा रसीदें।
26. जमाराशियों की परिपक्वता संबंधी सूचनाएं।
27. चेक लिस्ट तैयार करना।
28. ग्राहकों के साथ शाखा अधिकारियों की बैठकों से संबंधित सभी लिखित कार्य।
29. डिमांड ड्राफ्ट।
30. चेक वापसी का मेमो।
31. वेबसाइटों पर हिंदी में अधिक से अधिक सामग्री।
32. इंटरनेट पर और कार्पोरेट ई-मेल के माध्यम से हिंदी (देवनागरी) में ई-मेल संदेशों का आदान-प्रदान।
33. ऋण-मंजूरी की प्रक्रिया से संबंधित नोट।

अंग्रेज़ी शब्दों के हिंदी में द्वि-अर्थक पर्याय

Absenteeism	अनुपस्थित	दूरस्थता
Absolute	निरपेक्ष	असीम
Abuse	दुरूपयोग	अपशब्द
Accede	मान लेना	सम्मिलित होना
Accommodation	आवास	सहायता
Act	कार्य	अधिनियम
Administration	प्रशासन	व्यवस्था
Adopt	अंगीकार करना	गोद लेना
Advance	अग्रिम/ऋण	आगे बढ़ना
Advice	सलाह	सूचना
Alliance	संबंध	मैत्री
Anticipation	प्रत्याशा	पूर्वानुमान
Appreciation	प्रशंसा	वृद्धि
Article	अनुच्छेद	वस्तु
Assumption	धारणा	कल्पना
Execution	कार्यान्वयन	निष्पादन
Fabricate	गढ़ना	निर्माण करना
Free	निःशुल्क	स्वतंत्र करना
Goodwill	सद्‌भावना	साख
Hoarding	संग्रह	पट विज्ञापन
Impetus	प्रोत्साहन	आवेग
Impression	प्रभाव	छाप
Instrument	यंत्र	प्रपत्र
Introduce	प्रचलित करना	परिचय देना
Judgment	निर्णय	विवेक
Limitation	सीमा	अवधि
Liquidation	निर्धारण	दिवाला
Majority	वयस्कता	बहुमत
Material	भौतिक	सामग्री
Minor	नाबालिग	गौण
Bank	किनारा	कैंक
Bull	सांड	तेजड़िया
Charge	प्रभार	अभियोग
Code	संहिता	संकेत
Communication	संप्रेषण	संचार
Consideration	विचार	प्रतिफल
Conspicuous	स्पष्ट	प्रसिद्ध
Convention	परिपाटी	रूढ़ि

Course	पाठ्‌यक्रम	दिशा
Date	तारीख	खजूर
Deputation	प्रतिनियुक्ति	शिष्ट मंडल
Distinct	अलग	सुस्पष्ट
Domestic	घरेलू	देशी
Duty	कर्तव्य	शुल्क
Economy	मितव्ययता	अर्थ-व्यवस्था
Minority	अल्पमत	अल्पसंख्यक
Native	देशी	मूलनिवासी
Negotiation	बातचीत, वार्ता	परक्रामण
Obligation	आभार	दायित्व, बंधन
Option	इच्छा	विकल्प
Outstanding	उत्कृष्ट	शेष, बकाया
Parent	मूल	पैतृक
Partial	आंशिक	पक्षपाती
Periodical	आवधिक	पत्रिका
Plant	संयंत्र	पौधा
Power	अधिकार	बिजली
Precedent	पूर्ववर्ती	दृष्टांत
Proceeding	कार्यवाही	कार्यवृत
Qualified	सशर्त	योग्यता प्राप्त
Recognition	मान्यता	पहचान
Requisition	माँग	अधिग्रहण
Sacking	बर्ख़ास्त करना	टाट बनाना
Security	सुरक्षा	जमानत
Stable	स्थिर	अस्तबल
Submission	प्रस्तुतिकरण	निवेदन
Succession	अनुक्रम	उत्तराधिकारी
Tenancy	किराएदारी	काश्तकारी
Title	शीर्षक	अधिकार
Treatment	उपचार	व्यवहार
Ulterior	बाहरी	गूढ़
Undertaking	उपक्रम	वचन
Unqualified	अयोग्य	बिना शर्त
Usage	प्रथा	प्रयोग
Will	संकल्प	वसीयत
Writing	लिखावट	रचना
Yeild	उपज	हार मानना

हमारे चित्रकार

श्रीमती शौंतल सिंह
प्र.का. जोखिम प्रबंधन विभाग, नई दिल्ली।

सुश्री सुप्रिया बरवाल, प्र.का. सामान्य प्रशासन विभाग, नई दिल्ली।

सुश्री गुरलीन कौर - सुपुत्री श्री एन. एस. आनन्द, प्र.का. आई.टी. विभाग, नई दिल्ली।

सुश्री एंजल - सुपुत्री श्री गुरविन्द्र सिंह, कार्यकारी निदेशक सचिवालय, नई दिल्ली।

सुश्री नेहा भदौरिया एवं मास्टर निशांत सुपुत्री एवं सुपुत्र श्री सुरेश कुमार भदौरिया,
प्र.का. सामान्य प्रशासन विभाग, नई दिल्ली।

सुश्री संजना सामल, सुपुत्री श्रीमती बेबी कुमारी
प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, नई दिल्ली।

कल तारन गुरु नानक आया

प्र.का. स्तर पर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश-उत्सव आयोजन के अवसर पर लिए गए चित्र।

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी. पी. सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेकते हुए।

बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री पी. के. आनन्द, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेकते हुए।

जुगो–जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी।

शब्द–कीर्तन गायन।

सरबत के भले व बैंक की चढ़दी कला के लिए अरदास।

संगत लंगर छकते हुए।

ੴ